# वाराणसी नगर निगम

## वाराणसी नगर निगम (आकाश चिन्ह, विज्ञापनों का नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क वसूली) उपविधि, 2023

**संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**

**1–** **(1)** यहउपविधि वाराणसी नगर निगम (आकाश चिन्ह, विज्ञापनों का नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क वसूली) उपविधि, 2023 कही जाएगी।

**(2)** इसका विस्तार नगर निगम वाराणसी के सम्पूर्ण क्षेत्र में होगा।

**(3)** यह गजट में प्रकाशित होने के दिनाँक से प्रवृत्त होगी।

**परिभाषायें**

**2–** **(1)** जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में–

**(एक)** **''अधिनियम''** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 से हैः

**(दो)** **''विज्ञापन प्रतीक''** का तात्पर्य विज्ञापन के प्रयोजनों के लिए या तत्सम्बन्ध मे सूचना देने के लिए या जनता को किसी स्थान, व्यक्ति लोक निष्पादन वस्तु या वाणिज्यिक माल, जो भी हो, के प्रति आकर्षित करने के लिए किसी सतह या सरंचना से है जिसमें ऐसे प्रतीक अक्षर या दृष्टांत अनुप्रयुक्त हों और जो द्वारों के बाहर किसी भी रीति जो भी हो, से सम्प्रदर्शित हो, और उक्त सतह या सरंचना या किसी भवन से संलग्न हो, उसका भाग हो या उससे संयोजित हो या जो किसी वृक्ष या भूमि या किसी खम्भे, स्क्रीन बाड़ या विज्ञापन पट्ट से जुड़ी हो या जो खाली स्थान पर संप्रदर्शित हो।

**''आकाश चिन्ह''**से तात्पर्य है कोई शब्द, वर्ण, नमूना चिन्हयुक्त या अन्य प्रतिरूप, जो विज्ञापन, घोषणा या निर्देश के रूप में हो और जो किसी भवन या ढांचे पर उसके पूर्णतः या अंशतः किसी खम्भे, बल्ली, ध्वजदंड चौखट या अन्य किसी अवलम्ब के सहारे रखा हुआ हो या उससे संलग्न हो और जो किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान के किसी भी स्थल से पूर्णतः या अंशतः आकाश पर दिखायी देता हो।

**(तीन)** **''विज्ञापन''** का तात्पर्य विज्ञापन प्रतीक/आकाश चिन्ह के माध्यम से विज्ञापन करने से है।

**(चार)** **''गुब्बारा''** का तात्पर्य गैंस से भरे हुए ऐसे किसी गुब्बारे से है जो भूमि पर किसी बिन्दू से बंधा हो और कपड़े आदि के किसी फरहरे से या उसके बिना हवा में लहरा रहा हो;

**(पाँच)** **''बैनर''** का तात्पर्य ऐसी किसी नग्य आधार से है जिस पर कोई प्रतिकृति या चित्र संप्रदर्शित किये जा सकते है; जो पूर्णतयः प्रतिबन्धित है।

**(छः)** **''पताका विज्ञापन''** का तात्पर्य किसी प्रतीक से है जो अपने संप्रदर्शन की सतह के रूप मे किसी बैनर का प्रयोग कर रहा है;

**(सात)** **''समिति''** का तात्पर्य नियम–3 के अधीन गठित स्थल चयन समिति से है;

(आठ) **''निगम''** का तात्पर्य वाराणसीनगर निगम से है;

(नौ) **''विद्युतीय प्रतीक''** का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जिसमें विद्युतीय साज–सज्जे, जो प्रतीकों के महत्वपूर्ण अंग हैं, प्रयुक्त किये जाते हैं;

(दस) **''गैन्ट्री विज्ञापन''** का तात्पर्य सड़क के दोनो ओर लोहे का मजबूत पिलर गाड़कर उसके ऊपर न्यूनतम निर्दिष्ट ऊँचाई पर आयताकार विज्ञापन प्रतीक से है;

(ग्यारह) **''भू–विज्ञापन''** का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ न हो, और जो भूमि पर या किसी खम्भे, स्क्रीन, बाड़ा या विज्ञापन पट्ट पर परिनिर्मित या चित्रित हो और जनता के लिए दृश्य हो;

(बारह) **''प्रदीप्त प्रतीक''** का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो स्थायी या अन्यथा हो और जिसकी कार्यप्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रक्राश द्वारा उसे प्रदीप्त किये जाने पर आधारित हो;

(तेरह) **''शामियाना विज्ञापन''** का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी शामियाना वितान या ऐसी अन्य आच्छादित संरचना से सम्बद्ध हो या उससे टंगा हुआ हो जो किसी भवन से बाहर निकला हुआ हो और उससे अवलम्बित हो तथा जो भवन की दीवार एवं भवन की सीमा रेखा से बाहर की ओर हो और अस्थायी रूप से संप्रदर्शित किया गया हो;

(चौदह) **''प्रक्षेपित प्रतीक''** का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ हो और उससे 300 मिलीमीटर से अधिक बाहर की ओर हो;

(पन्द्रह) **''मार्ग अधिकार''** का तत्पर्य सड़क के प्रयोजनार्थ सुरक्षित और संरक्षित भूमि कीचौड़ाई से है;

(सोलह) **''छत विज्ञापन''** का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी भवन की प्राचीर या छत के किसी भाग पर या उसके ऊपर निर्मित हों या रखा गया है जिसमें किसी भवन की छत पर चित्रित विज्ञापन सम्मिलित है;

(सत्रह) **''अनुसूची''** का तात्पर्य इस उपविधि से संलग्न अनुसूची से है;

(अट्ठारह) **''बस सायबानों (शेल्टर) पर विज्ञापन''** का तात्पर्य किसी बस संचालन के अधीन बस सायबान के ऊपर अथवा भीतर की ओर से प्रकाशित किये गये, टागें गये, अथवा चित्रित किये गये विज्ञापन किये गये विज्ञापन प्रतीक से है;

(उन्नीस) **''पुष्प मात्र (फ्लावर पॉट) स्टैण्ड विज्ञापन''** का तात्पर्य शहर के अनुमन्य डिवाइडरों पर अथवा सड़क/फुटपाथ के अन्तिम छोर पर पर्यावरण की दृष्टिकोण से अनुकूल मौसमी पौधे लगाने के पश्चात् फ्लावर पॉट स्टैण्ड पर अनुमन्य/विहित आकार का विज्ञापन पट्ट लगाये जाने से है;

(बीस) **''जनसुविधा स्थान पर विज्ञापन''** का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी जनसुविधा स्थान के ऊपर/पास अथवा उसके भीतर किसी भी रीति से लगाये गये विज्ञापन से है;

(इक्कीस) **''ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आइलैण्ड पर विज्ञापन''**का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आइलैण्ड के ऊपर अथवा उसके चारों ओर लगाया/लटकाया/चित्रित किया जाए;

(बाइस) **''प्रतीक संरचना''** का तात्पर्य किसी ऐसी संरचना से है जिससे कोई प्रतीक अवलम्बित हो;

(तेईस) **''अनुज्ञा शुल्क''** का तात्पर्य अधिनियम की धारा 452के अधीन विज्ञापनशुल्क से है;

(चौबीस) **''अस्थायी विज्ञापन''** का तात्पर्य अवकाश दिवसों या लोक प्रदर्शनों हेतु अलंकारिक प्रदर्शनों सहित, किसी सीमित अवधि के प्रदर्शन के लिए वांछित किसी विज्ञापन प्रतीक, झण्डा या वस्त्र, कैनवास, कपड़े या किसी संरचनात्मक ढांचा से या उसके बिना किसी हल्की सामग्री से निर्मित अन्य विज्ञापन युक्ति से है;

(पच्चीस) **''ट्री गार्ड विज्ञापन''** का तात्पर्य अनुमन्य डिवाइडरों पर अथवा सड़क/फुटपाथ के अंतिम छोर पर पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुकूल पौधे लगाने के पश्चात् ट्री गार्ड

पर अनुमन्य / विहित आकार के संप्रदर्शित विज्ञापन प्रतीक से है;

**(छब्बीस)** **''बरांडा प्रतीक''** का तात्पर्य किसी बरांडा से सम्बद्ध, उससे संयोजित या उससे टांगे गये विज्ञापन से है;

**(सत्ताइस)** **''दीवार प्रतीक''** का तात्पर्य किसी क्षेपण प्रतीक से भिन्न ऐसे किसी विज्ञापन से है जो किसी भवन की बाह्य सतह या उसके संरचनात्मक भाग से सीधे सम्बद्ध हो या उसे पर चित्रित किया गया या चिपकाया गया हो;

**(अट्ठाइस)** **''विज्ञापनकर्ता''** का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जिसे इस उपविधि के अधीन कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने के लिए लिखित अनुमति प्रदान की गयी हो, और ऐसे व्यक्ति में उसका अभिकर्ता, प्रतिनिधि या सेवक सम्मिलित है और भूमि तथा भवन का स्वामी भी सम्मिलित है।

**(2)** इस उपविधि मे प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम मे पारिभाषित शब्दो और पदो के वही अर्थ होगे जो अधिनियम मे उनके लिए समनुदेशित है;

**स्थल चयन के समिति का गठन**

**3— (1)** नगर आयुक्त अथवा अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता मे विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिए उचित और उपयुक्त स्थलों की पहचान करने के लिए और उसके आकार, ऊँचाई और सौन्दर्यात्मक पहलू का विनिश्चय करने के लिए वाराणसी नगर निगम मे एक समिति का गठन किया जायेगा।

**(2)** **समिति में निम्नलिखित होगे—**

| | | |
|---|---|---|
| **(एक)** | नगर आयुक्त अथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त; | अध्यक्ष |
| **(दो)** | मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, | सदस्य |
| **(तीन)** | सचिव, वाराणसी विकास प्राधिकरण; | सदस्य |
| **(चार)** | परियोजना निर्देशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, (जहाँ स्थल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई) से सम्बन्धित हो) | सदस्य |
| **(पाँच)** | अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग तथा रेलवे का प्रतिनिधि (जहाँ स्थल लोक निर्माण विभाग अथवा रेलवे से सम्बन्धित हो); | सदस्य |
| **(छः)** | नगर में यातायात का प्रभारी राजपत्रित अधिकारी (यातायात पुलिस विभाग) | सदस्य |
| **(सात)** | क्षेत्रिय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (जहाँ स्थल बस शेल्टर के आवंटन से सम्बन्धित हो); | सदस्य—सचिव |
| **(आठ)** | निगम का यातायात अभियन्ता या कोई सदस्य— सचिव अधिकारी जो अधिशासी अभियन्ता की श्रेणी से निम्न न हो; | |
| **(नौ)** | कार्यालय स्मार्ट सिटी की ओर से नामित उनके प्रतिनिधि। | सदस्य |

**(3)** समिति द्वारा परिलक्षित स्थलों पर अनुज्ञा प्रदान करने के लिए नगर आयुक्त अथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त द्वारा कम से कम दो प्रख्यात दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेगें। विज्ञापन मे प्रत्येक प्रस्तावित स्थल के सम्बन्ध मे नगर आयुक्त द्वारा न्यूनतम प्रीमियम विनिर्दिष्ट होनी चाहिए।

**(4)** स्थलों की पहचान और समिति की संस्तुति के पश्चात् ही विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टो की अनुज्ञा दी जाएगी। नगर निगम सीमान्तर्गत चयनित स्थलों की सूची को

समिति के सदस्यों के समक्ष उपलब्ध कराये जाने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर सदस्यों द्वारा अपनी आपत्ति/सूझाव दिया जाना आवश्यक होगा, उसके पश्चात् सूझाव/आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में चयनित स्थलों की सूची पर ही समिति की सदस्यों की सहमति मानते हुये, स्थल चयन की कार्यवाही निस्तारित कर दी जायेगी।

**प्रतिषेध** 4— (1) नगर आयुक्त से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति निगम की सीमा के भीतर किसी भवन, पुल, मार्ग, फुटपाथ, उपरिगामी, सेतु या उससे संलग्न भूमि या ट्री गार्ड, नगर प्राचीर, बाउन्ड्रीवाल, नगर द्वार, विद्युत या टेलीफोन के खम्भे, चल वाहनों या किसी खुले स्थान पर कोई विज्ञापन या किसी प्रकार की सूचना या चित्र, जिससे किसी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को विज्ञापन होने का आभास हो, न तो परिनिर्मित करेगा न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा न लगायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा।

(2) निगम की सीमाओ के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी, अध्यासी या अन्यथा अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति नगर आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई विज्ञापन न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न लगायेगा, न चिपकायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे भवन या भूमि पर कोई विज्ञापन परिनिर्मित करने देगा, न प्रदर्शित, सम्प्रदर्शित, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने देगा, यदि ऐसा किसी सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक मार्ग से दृश्य हो।

(3) कोई विज्ञापन पट्ट इस रीति से प्रतिष्ठापित नही किया जायेगा कि यातायात के संचालन मे अग्र एवं पार्श्व भाग के दर्शित होने में कोई व्यवधान हो।

(4) कोई विज्ञापन पट्ट राष्ट्रीय राज्य राजमार्ग के दाहिनी ओर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के छोर से 10 मीटर के भीतर प्रतिष्ठापित नही किया जायेगा।

(5) कोई विज्ञापन पट्ट के इस नियम के अधिन यथा विनिर्दिष्ट मार्गों के सिवाय अन्य मार्गों के छोर के 10 मीटर के भीतर प्रतिष्ठापित नही किया जायेगा।

(6) बिना अनुमति बैनर, वाल पेन्टिंग, पोस्टर के माध्यम से (किसी भी रीति से) विज्ञापन करना पूर्णतयः प्रतिबन्धित है।

(7) नगर निगम सीमा क्षेत्र में विभिन्न राजनैतिक दलों/संगठनों के द्वारा किसी भी प्रकार से विज्ञापन/प्रचार/बधाई सन्देश आदि प्रदर्शित किये जाने के पूर्व (चुनाव/निर्वाचन की अवधि को छोड़कर) नियमानुसार अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

**विज्ञापनकर्ताओं का पंजीकरण एवं नवीनीकरण** 5— (1) विज्ञापनकर्ता एवं विज्ञापन ऐजेंसी को ''ए'' श्रेणी, ''बी'' श्रेणी एवं ''सी'' श्रेणी का निर्धारण आवंटित समिति द्वारा किया जायेगा।

(2) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन अनुसूची–1 मे विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में किया जायेगा, जिससे पाँच सौ रूपये भुगतान करके नगर निगम कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा या निगम के वेबसाइट से डाउनलोड भी किया जा सकता है, तथापि आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन पत्र के मूल्य की रसीद आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

(3) पंजीकरण का नवीनीकरण वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने से सात दिन के अन्दर कराना अनिवार्य होगा। नवीनीकरण शुल्क ''ए'' श्रेणी हेतु रू 40,000.00/–(चालीस हजार),''बी'' श्रेणी हेतु रू 30,000.00/–(तीस हजार) एवं ''सी'' श्रेणी हेतु रू 20,000.00/–(बीस हजार) होगा। ''ए'' श्रेणी में पंजीकृत विज्ञापनकर्ता/एजेन्सी ही निलामी/निविदा प्रक्रिया मे भाग लेने हेतु अर्ह होगी।

(4) ''ए'' श्रेणी के अन्तर्गत पंजीकरण के उपरान्त नियमानुसार 10 से अधिक विज्ञापन पट/आकाश चिन्ह स्थापित किया जा सकता है तथा ''बी'' श्रेणी के पंजीकरण कराने वाली संस्था 05 से 10 विज्ञापन पट/आकाश चिन्ह स्थापित कर सकते हैं एवं ''सी'' श्रेणी के विज्ञापनकर्ता 01 से 05 विज्ञापन पट/आकाश चिन्ह स्थापित कर सकते है।

**अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया** 6– (1) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र मे किया जायेगा, जिसे रू 500.00 का भुगतान करके नगर निगम कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा। आवेदन–पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन पत्र के मूल्य की रशीद आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

(2) उपनियम (1) मे निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन पत्र में ऐसी भूमि, भवन या स्थान के सम्बन्ध मे विस्तृत सूचना, ऐसी भूमि के स्थल नक्शा सहित निहित होगी जहॉ भूमि, भवन या स्थान के पास प्रस्तावित विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर परिनिर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, सम्प्रदर्शित, लगाया जाना, चिपकाया जाना, लिखा जाना या लटकाया जाना वांछित हो और उसमें निम्नलिखित सूचना सम्मिलित होगीः–

(क) प्रत्येक भू–विज्ञापन पत्र की भूमितल से ऊँचाई, अवस्थिति, ढाँचे की बनावट आदि की विशिष्टियों को आवंटन समिति द्वारा तय किया जायेगा और उसी के अनुरूप आवश्यक अभिकल्प संगणना आवेदन पत्र में प्रस्तुत की जायेगी;

(ख) पूर्ववर्ती विज्ञापनों के अतिरिक्त छत–विज्ञापनों, प्रक्षिप्त विज्ञापनो या भू–प्रतीकों के मामले मे सहायक क्रिया विधियो और स्थिरक–स्थानों के समस्त घटक और यदि नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो तो आवश्यक अभिकल्प संगणनाएं आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी;

(ग) कोई अन्य विशिष्टियाँ, जो नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो;

(घ) गुब्बारा विज्ञापन के मामले मे नगर आयुक्तअथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त द्वारा यथा अपेक्षित आवश्यक सूचना विज्ञापनकर्ता को उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) यदि विज्ञापन किसी सार्वजनिक मार्ग के पार्श्व भाग पर या किसी निजी परिसर में कोई संरचना लगाकर प्रदर्शित किया जाना या संप्रदर्शित किया जाना वांछित हो तो ऐसे आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत किये जायेंगेः–

(क) विज्ञापन और प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण;

(ख) नगर आयुक्तअथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित संरचना अभियन्ता से सम्बन्धित भवन एवं उस पर निर्मित संरचना पर विज्ञापन हेतु सुदृढ़ता सम्बन्धी रिर्पोट;

(ग) भू/भवन स्वामी की सहमति का अनुबन्ध पत्र;

आवेदन, आवश्यक चित्रों संरचना–संगणनाओं सहित नगर आयुक्तअथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित संरचना अभियन्ता के माध्यम से की जायेगी। अभिकल्प संगणनाओ मे लिया गया ''वायुभार राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के ''संरचना अभिकल्प, धारा–1 भार बल और प्रभाव'' के भाग–4 के अनुसार होगा।

(4) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी निजी या भवन या उसके किसी भाग पर परिनिर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, चिपकाया जाना, लिखा जाना, चित्रित किया जाना या लटकाया जाना वांछित हो और आवेदक ऐसी भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुज्ञा/निष्पादित अनुबन्ध की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(5) उपनियम (4) मे निर्दिष्ट निजी भूमि या भवन पर लगे विज्ञापन पटों की स्थित में निर्धारित समयावधि में भुगतान शुल्क का भुगतान न देने की स्थिति में विज्ञापन एजेन्सी द्वारा पंजीकरण के समय दिया गया जमानत धनराशि जब्त कर लिया जायेगा। नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को विज्ञापन पट्ट हटाने हेतु परिसर मे प्रवेश का अधिकार होगा।

(6) यदि भूमि का कोई स्वामी अपनी निजी भूमि पर विज्ञापन संप्रदर्शित करना चाहे तो उसे आवेदन पत्र के साथ विस्तृत सूचना प्रस्तुत करनी होगी और उपविधि के अधीन अनुज्ञा लेनी होगी।

**(7)** यदि कोई व्यक्ति किसी ट्रीगार्ड/फ्लावर पॉट को परिनिर्मित करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे ट्रीगार्डो/फ्लावर पॉट पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित या संप्रदर्शित करता है तो इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा शुल्क भुगतान करने का दायी होगा।

**(8)** अनुज्ञा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान की जाएगी जो नगर आयुक्तअथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त द्वारा लोक सुरक्षा और शिष्टाचार के हित मे अधिरोपित की जाये।

**(9)** प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित सम्पूर्ण प्रीमियम अथवा नगर आयुक्तअथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रथम किश्त की धनराशि संलग्न करनी होगी, परन्तु यह कि प्रीमियम की अवशेष धनराशि नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर जमा करनी होगी।

**अनुज्ञा प्राप्त करने की शर्तें** **6–क** **(1)** किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने की अनुज्ञा निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तों पर प्रदान की जायेगी, किन्तु बैनर, वाल पेन्टिंग, पोस्टर से प्रचार–प्रसार पूर्णतयः प्रतिबन्धित होगा,यह किः–

**(क)** अनुज्ञा केवल उस अवधि तक के लिए प्रभावी होगी जिस अवधि के प्रदान की गयी हो, परन्तु यह कि अनुज्ञा शुल्क या प्रीमियम सहित अनुज्ञा शुल्क, इस उपविधि के अनुसार नगर निधि में संदत्त और जमा किया गया हो;

**(ख)** विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर ऐसे रंगों और आकारों में लिखा जाएगा, चिपकाया जाएगा, समुदृधृत किया जाएगा, चित्रित किया जाएगा जैसा कि नगर आयुक्त अथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्तद्वारा अनुमोदित किया जाए और विज्ञापन पट्ट चाहे भूमि पर या भवन पर प्रतिष्ठापित किया गया हो, की ऊँचाई **6.2** मीटरचौड़ाई से **12.4** मीटरसेअधिक नहीं होगी। दो सन्निकट विज्ञापनों पट्टों के मध्य की दूरी **10** मीटर से कम नहीं होगी। यूनीपोल लगाये जाने की दशा में दो यूनीपोल के मध्य की दूरी **15** मीटर से कम नही होगी;

**(ग)** विज्ञापन या विज्ञापन पट को समुचित दशा में रखा एवं अनुरक्षित किया जाएगा;

**(घ)** प्रदान की गयी अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी;

**(ड़)** विज्ञापन या विज्ञापन पट की विषय वस्तु या उसके विवरण में नगर आयुक्तअथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना परिवर्तन नहीं किया जायेगा ;

**(च)** निजी भवनों के छतों के विज्ञापनकर्ता ऐसी अवधि के लिए अनुज्ञा दी गई थी अनुज्ञा की अवधि समाप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर विज्ञापन हटा देंगे। ऐसा न करने पर नगर निगम द्वारा हटाया जायेगा तथा हटाये जाने के व्यय के रूप में अनुज्ञप्ति शुल्क के बराबर की धनराशि देय होगी। अन्य विज्ञापनों के अनुज्ञा की अवधि समाप्त होने के पश्चात उसे नगर निगम द्वारा हटाया जायेगा।

**(छ)** विज्ञापन बोर्ड या विज्ञापन पट्ट अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेंगे, संप्रदर्शित किये जायेंगे या उसे परिनिर्मित किये जायेंगे;

**(ज)** मार्ग/फुटपाथ के लिए खुली छोड़ी गयी भूमि पैदल चलने वालों साइकिल वालों आदि के लिए सुरक्षित रूप में चलने के लिए उपलब्ध रहेगी;

**(झ)** भवनों, यदि कोई हो, जो प्रतीकों और विज्ञापन पट्टों के समीप स्थित हो, के प्रकाश और वातायन किसी भी रूपमें बाधित नहीं होंगे;

**(ञ)** लोकहित में नगर आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह अवधि समाप्त होने के पूर्व भीअनुज्ञा–पत्र को निलम्बित कर दें, जिसके पश्चात् विज्ञापनकर्ता विज्ञापन के हटा देगा;

(ट) विज्ञापन कर्ता को इस उपविधि और नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित शर्तो का पालन करना होगा;

(ठ) विज्ञापनों से अवस्थान का कलात्मक सौन्दर्यनष्ट नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार के विज्ञापन हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा प्रतिबन्धित प्लास्टिक का प्रयोग निषिद्ध होगा;

(ड) भवन से सम्बन्धित विज्ञापन पट्टों से भिन्न विज्ञापन पट्ट ऐसे भवनों यथा चिकित्सालयों, शैक्षिक संस्थाओं, न्यायालयों, सार्वजनिक कार्यालयों, संग्रहालायों, धार्मिक पूजा के निमित्त अर्पित भवनों और राष्ट्रीय महत्व के भवनों के समक्ष प्रदर्शित करने की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ढ) विज्ञापन पट्टों का अनुरक्षण तथा निरीक्षण और उनके अवलम्ब नियम 24 के अनुसार होगें;

(ण) समस्त विज्ञापन नियम 16 ''समस्त विज्ञापनों के लिए सामान्य अपेक्षाऐं'' मे दी गयी सामान्य अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे;

(त) विज्ञापनो को वृक्षों या काष्ठमय पेड़–पौधों में गाडा, बांधा नहीं जायेगा;

(थ) नगर निगम सीमा क्षेत्र में विभिन्न राजनैतिक दलों/संगठनों के द्वारा किसी भी प्रकार से विज्ञापन/प्रचार/बधाई सन्देश आदि प्रदर्शित किये जाने के पूर्व (चुनाव/निर्वाचन की अवधि को छोड़कर) नियमानुसार अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा परन्तु हटाये जाने का शुल्क धारा 6–क(1)(च) के अनुसार होगा

(द) उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत होर्डिंग्स एवं विज्ञापन पटों के सम्बन्ध में अनुज्ञा प्रदान करते समय अनुबन्ध पत्र में यह शामिल होगा कि अनुज्ञा प्राप्त करने वाले व्यक्ति से निर्धारित प्रमियम और विज्ञापन कर की पूर्ण धनराशि के अतिक्ति वार्षिक विज्ञापन कर के 10 प्रतिशत की धनराशि ''जमानत राशि'' के रूप में जमा कराई जायेगी जो कि विज्ञापनकर्ता द्वारा लगाये गये होर्डिंग्स एवं विज्ञापन पटों से किसी प्रकार की क्षति होने की दशा में उसकी क्षतिपूर्ति जमानत की धनराशि से की जायेगी। किन्तु कोई क्षति न होने की दशा में अनुबन्ध अवधि समाप्त होने पर उक्त जमा की गई अतिरिक्त धनराशि विज्ञापनकर्ता को वापस कर दी जायेगी।

**(2) नगर आयुक्तअथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त द्वारा प्रदान की गयी लिखित अनुज्ञा या उसका नवीनीकरण तत्काल समाप्त हो जायेगाः–**

(क) यदि कोई विज्ञापन या उसका कोई भाग किसी दुर्घटना या किसी अन्य कारण से गिर जाता है; या गिरने की सम्भावना प्रतित होती है।

(ख) यदि कोई परिवर्द्धन, उसे सुरक्षित रखने के प्रयोजन को छोड़कर नगर आयुक्तअथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त के निर्देश की अधीन किया जाता है;

(ग) यदि विज्ञापन पट या उसके भाग मे कोई परिवर्तन किया जाता है;

(घ) यदि उस भवन या संरचनाओं मे कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन किया जाता है जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित किया गया हो, और यदि ऐसे परिवर्द्धन या परिवर्तन में विज्ञापन पट या उसके किसी भाग का व्यवधान सम्मिलित है; या,

(ङ) यदि ऐसा भवन या संरचना, जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित, नियत या अवरूद्ध हो, भंजित या नष्ट हो जाती है।

**प्रीमियम** **6–ख** (1) नगर निगम सीमा में प्रत्येक निर्धारित स्थल के लिए स्थल के महत्व के अनुसार न्यूनतम प्रीमियम की धनराशि नियत करने हेतु नगर आयुक्तअथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में आवंटन समिति द्वारा नियत किया जायेगा।

(2) मुहरबन्द लिफाफे में प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए न्यूनतम सात दिन का समय दिया जायेगा।

(3) प्रस्ताव के साथ उसमें उल्लिखित पूर्ण धनराशि अथवा 50 प्रतिशत धनराशिका का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक संलग्नहोनी चाहिए। प्रीमियम की शेष धनराशि प्रस्ताव की स्वीकृति के प्रश्चात् नगर आयुक्त द्वारा यथा निर्दिष्ट अवधि के अन्दर जमा करनी होगी।

**आवंटन समिति** **7—** **(1)** नगर आयुक्त की अध्यक्षता में निगम एक आवंटन समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगेः—

| | | |
|---|---|---|
| **(एक)** | नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त | सदस्य |
| **(दो)** | निगम का मुख्य अभियन्ता | सदस्य |
| **(तीन)** | निगम मे तैनात यातायात सैल (ट्रैफिक सैल) का अभियन्ता | सदस्य |
| **(चार)** | सम्बन्धित जोन का जोनल अधिकारी | सदस्य |
| **(पाँच)** | प्रभारी अधिकारी, विज्ञापन एवं विज्ञापन पट्ट जो कर निर्धारण अधिकारी की श्रेणी से निम्न नहीं होगा। | सदस्य—सचिव |

**टिप्पणीः** नगर आयुक्त, महापौर के परामर्श से एक या एक से अधिक सदस्य, सहयोजित कर सकते हैं जैसा वह उचित समझें।

**(2)** **(एक)** समिति सार्वजनिक भूमि/नगर निगम में निहित भूमि (गली, फुटपाथ, डिवाइडर, तिराहा, चौराहा, आईलैण्ड पार्क, या कोई सार्वजनिक स्थल) पर स्ट्रक्चर निर्मित करने हेतु उस स्थल के व्यावसायिक महत्व एवं उस स्थल के माध्यम से होकर गुजरने वाले व्यक्तियों की संख्या को ध्यान मे रखते हुए प्रीमियम की न्यूनतम धनराशि नगर आयुक्त की अध्यक्षता में आवंटन समिति द्वारा नियत किया जायेगा।

**(दो)** समिति इस उपविधि मे विनिर्दिष्ट प्रतिमानों केअनुसार आवेदन पत्रों, निविदाओं, प्रस्तावों की संवीक्षा करेंगी और तदनुसार अनुमोदित करेगी।

**(3)** नियम 26 के अधीन अनुज्ञा शुल्क सहित प्रीमियम की पूर्ण प्रस्तावित धनराशि जमा करने के पश्चात् उच्चतम् प्रस्ताव करने वाले आवेदक को अनुज्ञा प्रदान करेगी।

**(4)** सदस्य सचिव समिति द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित अनुज्ञा आदेश जारी करेगाा।

**(5)** विज्ञापनकर्ता द्वारा निगम में अनुमोदित प्रीमियम की धनराशि अथवा नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रथम किस्त की धनराशि एवं विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क की धनराशि जमा करने के पश्चात् ही उसे अनुज्ञा आदेश जारी किया जायेगा।

**(6)** यदि उचत्तम प्रीमियम प्रस्तावित करने वाला आवेदक किन्ही भी कारणों से अनुमोदित प्रीमियम एवं विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क की धनराशि जमा नहीं करता है और निविदा से अपना प्रस्ताव वापस लेता है तो उसके द्वारा निलामी/निविदा के लिए जमा की गयी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी ।

**(7)** विस्तृत सूचना, अनुदेश और निबंधन एवं शर्तें अनुज्ञा आदेश में उल्लिखित की जाएगी।

**(8)** विज्ञापन (यथा—होर्डिग, यूनीपोल, बस शेल्टर, गैन्ट्री इत्यादि) के लिए प्रत्येक स्थल की निलामी या निविदा एवं विद्युत, टेलीफोन खम्भों, ट्री—गार्ड/फ्लावर पॉट पर विज्ञापन की निलामी/निविदा एक ही रूप मे उपर्युक्त रीति से की जाएगीं।

**(9)** यदि कोई विज्ञापन निजी भवन या भूमि पर संप्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो तो अनुसूची—2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक विज्ञापनअनुज्ञा शुल्क, विज्ञापनकर्ता द्वारा संदेय होगा।

**(10)** यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी सार्वजनिक मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग को छोड़कर जहाँ इसकी अनुज्ञा न हों) या इससे संलग्न भूमि या किसी सार्वजनिक स्थान, विद्युत या टेलीफोन खम्भों या ट्रीगार्ड या चहारदीवारी पर संप्रदर्शित किया जाना,
परिनिर्मित किया जाना या प्रदर्शित किया जाना हो, तो अनुसूची—2 विनिर्दिष्ट वार्षिक अनुज्ञा शुल्क और उच्चतम् प्रीमियम की निर्धारित धनराशि आवेदक द्वारा संदेय होगी।

**आवेदन पत्रों की अस्वीकृति के आधार** 8— नियम 4 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र निम्नलिखित किसी एक या उससे अधिक आधारों पर अस्वीकृत किया जा सकता है, यह कि:—

**(क)** आवेदन पत्र में अपेक्षित सूचना और विवरण अन्तर्विष्ट न हो या वह इस उपविधि के अनुरूप न हो।

**(ख)** प्रस्तावित विज्ञापन अशिष्ट, अश्लील, घृणास्पद, वीभत्स या आपत्तिजनक प्रकृति का या नगर पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनिष्टकर या क्षतिकारक प्रभाव डालने वाली प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रीति से या किसी ऐसे माध्यम से संप्रदर्शित हो, जैसा कि नगर आयुक्त की राय में, उसमें किसी पड़ोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील नग्न रेखाचित्र या चित्र या मदोन्मत्ता का कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो।

**(ग)** तम्बाकू से निर्मित पदार्थ सिगरेट इत्यादि के सेवन को प्रोत्साहित करने वाला हो;

**(घ)** प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शांति या प्रशांति भंग होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरूद्ध हो;

**(ङ)** प्रस्तावित विज्ञापन से तूफान या अंधड़ के दौरान जीवन या सम्पत्ति के लिए क्षति उत्पन्न होने की सम्भावना हो;

**(च)** प्रस्तावित विज्ञापन से यातायात में व्यधान या खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना हो;

**(छ)** प्रस्तावित विज्ञापन स्थल तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों से असंगत हो;

**(ज)** विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी भूमि या भवन पर परिनिर्मित किया जाना या सम्प्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो और ऐसी भूमि या भवन के संबंध मे धारा 172 में निर्दिष्ट सम्पत्ति कर आवेदन करने के दिनांक को असंदत्त हो;

**(झ)** अन्य कोई कारण जिसे नगर आयुक्त अथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्तनगर निगम के हित व जनहित में उचित समझें।

**अनुज्ञा प्रदान करने की रीति** 9— किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने हेतु आवंटन समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित एक या उससे अधिक रीति से अनुज्ञा प्रदान करना नगर आयुक्त के लिए विधि सम्मत होगा;

**(एक)** सार्वजनिक नीलामी द्वारा

**(दो)** निविदा आमंत्रित करने के द्वारा

**(तीन)** निर्धारित नियमों एवं शर्तो के अधीन पूर्व में प्रदान की गई अनुज्ञा के नवीनीकरण के द्वारा किन्तु अनुज्ञा की किसी भी दशा मे नही दी जाएगी, जिससे यातायात एवं फुटपाथ पर पैदल चलने में किसी प्रकार अवरोध उत्पन्न हो;

**(चार)** निजी स्थल/भवन पर विज्ञापन की अनुमति परिसर के मालिक की सहमति पर इस नियम के अन्य उपबन्धों के अधीन दी जा सकती है;

**(पाँच)** विज्ञापन हेतु प्राप्त आवंदन पत्रों पर अनुज्ञा और नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्रो को अधिकतम पन्द्रह दिनो के अन्दर निर्णय लेकर विज्ञापनकर्ता को सूचित किया जाएगा। यदि नीलामी/निविदा के माध्यम से अनुज्ञा प्रदान किया जाना है तो नीलामी/निविदा की तिथि से 15 दिनो के अन्दर निर्णय लेकर नीलामी/निविदा मे भाग लेने वाले विज्ञापनकर्ताओं को सूचित किया जाएगा।

**अनुज्ञा की अवधि** 10— अनुज्ञा की अवधि वही होगी जो अनुज्ञा पत्र मे विनिर्दिष्ट है। वार्षिक अनुज्ञा, अनुज्ञा के दिनॉक से एक वर्ष की अधिकतम अवधि या उस वित्तिय वर्ष के 31 मार्च तक, जिसमें अनुज्ञा स्वीकार की गयी, इनमे जो भी पहले हो, होगी।

**अनुज्ञा का नवीनीकरण** 11— नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रीमियम/नवीनीकरण शुल्क एवं सम्पूर्ण विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क जमा करने के पश्चात् अनुज्ञा का नवीकरण नियम 6(3) के अधीन किया जा सकता है। इसके लिए विज्ञापनकर्ता को अनुसूची—1 के रूप में संलग्न विहित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिसके साथ देय प्रीमियम/नवीनीकरण शुल्क एवं विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क जमा करना होगा।

**विज्ञापन या विज्ञापन पट् हटाने की शक्ति**

12– (1) यदि कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट इस उपविधि के उल्लंघन में परिनिर्मित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, संप्रदर्शित किया जाता है, चिपकाया जाता है, लिखा जाता है, चित्रित किया जाता है या लटकाया जाता है या लोक सुरक्षा के लिए परिसंकटमय या खतरनाक हो या वह सुरक्षित यातायात संचालन हेतु अशांति का कारण हो तो नगर आयुक्त को किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकते है या मिटवा सकते है और जमा प्रतिभूति से निम्नलिखित धनराशियों की वसूली कर सकती हैः–

(एक) इस प्रकार हटाये जाने या मिटाये जाने का व्ययः और

(दो) ऐसी अवधि, जिसके दौरान ऐसा विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट ऐसे उल्लंघन मे परिनिर्मित किया गया था, प्रदर्शित किया गया था, संप्रदर्शित किया गया था, लगाया गया था, चिपकाया गया था, लिखा गया था, चित्रित गया था या लटकाया गया था, के लिए क्षतियों की धनराशि।

(2) जब कभी कोई विज्ञापन नगर आयुक्त द्वारा किसी नोटिस या आदेश या अन्यथा के परिणामस्वरूप हटाया जाता है तब ऐसे भवन या स्थल,
जिस पर या जिससे ऐसा विज्ञापन संप्रदर्शित किया गया था, में किसी क्षति या विकृति को नगर आयुक्त के समाधान पर्यन्त ठीक किया जाएगा। यदि विज्ञापन हटाये के दौरान मार्ग/सड़क/फुटपाथ/यातायात संकेतक या कोई अन्य लोक उपयोगिता की सेवायें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि को निगम सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दिया जाना चाहिए।

**विज्ञापन पर निर्बन्धन**

13– (1) किसी संविदा या करार में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित नहीं किया जाएगा, प्रदर्शित नही किया जाएगा, संप्रदर्शित नहीं किया जाएगा, चिपकाया नहीं जाएगा, लिखा नही जाएगा, चित्रित नही किया जाएगा या लटकाया नही जाएगा, यदि,

(एक) यह आकार में 12.2 मीटर ×6.2 मीटर से अधिक हो और इसका तल आधार भूतल से ऊपर 02 मीटर से कम हो,

(दो) यह किसी मार्ग, मार्ग संधियों या सेतुओं के अनुप्रस्थ भाग के मध्य से होते हुये मार्ग से नापे गये 20मीटर के भीतर किसी स्थान पर अवस्थित हो;

(तीन) यह मार्ग के समानान्तर न हो या इससे यानीय या पैदल चलने वाले यातायात में बाधा उत्पन्न होती हो या बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो;

(चार) समिति की राय में प्रस्तावित स्थल विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिए अनुपयुक्त हो;

(पाँच) यह मार्ग के आर–पार एवं मार्ग पटरी/पगडंडी पर रखा गया हो;

(छः) यह किसी निजी परिसर के बाहर क्षेपित हो जिस पर यह इस प्रकार परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित हो;

(सात) यह ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों, सार्वजनिक भवनों और दीवारों चिकित्सालयों, शैक्षणिक संस्थाओं, न्यायालयों, सार्वजनिक कार्यालयों और पूजा स्थलों के चारो ओर अवस्थित हो;

(आठ) स्थल नियम 22 के अधीन इस परियोजनार्थ निगम या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के द्वारा घोषित प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर पड़ता हो;

(नौ) जर्जर स्थिति में हो जिसके ऑधी–पानी (बरसात) में गिरने की सम्भावना हो।

(2) **विज्ञापनों और विज्ञापनों पट्टों को निम्नलिखित रूप में अनुज्ञा नही दी जाएगी :**

(एक) ऐसी रीति से ओर ऐसे स्थानों पर जिससे कि यातायात के पहुँचने, या संविलीन होने, प्रतिच्छेदित होने की दृश्यता में बाधा या व्यवधान होता हो;

(दो) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के दायीं ओर के भीतर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के पड़ने वाले मोड़ के 10 मीटर के भीतर एवं समस्त प्रमुख चौराहों की दूरी के 30 मीटर के भीतर ;

(तीन) किसी लोक प्राधिकरण यथा यातायात प्राधिकरण लोक परिवहन प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण या लोक निर्माण विभाग या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आदेशो के अधीन मार्ग से होते हुये यातायात के विनियम के लिए प्ररिनिर्मित किसी साइन बोर्ड के 50 मीटर के भीतर;

(चार) ऐसे रूप मे जिससे लोक प्राधिकरणों द्वारा यातायात नियंत्रण के लिए परिनिर्मित किसी चिन्ह, संकेतक या अन्य युक्ति के निर्वचन में विघ्न व्यवधान उत्पन्न हो;

(पाँच) किसी मार्ग के पार लटकाए गये पट्टों, भित्ति पत्रकों, वस्त्र–झण्डियां या पत्रक पर जिनमें चालक का ध्यान विचलित होता हो और इसलिए परिसंकटमय हो;

(छः) ऐसे रूप में जिससे पैदल चलने वालों के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न हो और चौराहों पर उनकी दृश्यता बाधित हो;

(सात) जब इनसे स्थानीय सुविधायें प्रभावित हो।

(3) (एक) निजी भवनों पर पोस्टर चिपकाने अथवा वॉल राइटिंग के पूर्व भवन स्वामी की लिखित अनुमति आवश्यक होगी। सार्वजनिक भवनों, दिशा–सूचकों और महत्वपूर्ण सूचनाओं/नोटिस वाले विज्ञापन–पटों पर पोस्टर लगाना अथवा कुछ लिखना पूर्णतः प्रतिबन्धित एवं दण्डनीय अपराध होगा,

(दो) सड़क पर क्रास बैनर पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा;

(तीन) गैन्ट्री प्रतीकों के लिए यह आवश्यक होगा कि गैन्ट्री के दोनों छोरों पर स्थान बोधक, दिशासूचक शब्द एवं दूरी का उल्लेख किया जाय जो विज्ञापन के कुल आकार का न्यूनतम 30 प्रतिशत से कम नही होगा।
गैन्ट्री की सड़क से न्यूनतम ऊँचाई इस प्रकार रखी जाएगी कि सामान लदा हुआ भारी ट्रक नीचे से आसानी से गुजर सके।

(चार) फ्लावर पॉट मे मौसमी पुष्पों वाले पौधें ही लगाये जा सकेगें। कैक्टस वाले फ्लावर पॉट अनुमन्य नही होगें;

(पाँच) सड़क के किनारे अथवा डिवाइडर पर लगे किसी भी बड़े वृक्ष जो स्वावलम्बी हो चुके हैं एवं बड़े वृक्ष के नीचे ट्री–गार्ड/फ्लावर पॉट लगा कर विज्ञापन प्रदर्शित किया जाना निषिद्ध होगा;

(छः) किसी भी पोल पर अधिकतम दो कियॉस्क जिनके पार्श्व भाग आपस में इस प्रकार सटे होंगे जिसमें एक दिशा से एक ही कियॉस्क दृश्य होगा, अनुमन्य होगें।

(4) **निम्नलिखित प्रकार के प्रदीप्त विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों की अनुज्ञा नहीं होगी :–**

(एक) ऐसी सधनता या चमक वाले प्रदीप्त विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिससे चौंध उत्पन्न हो या चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो या जिससे चालन की किसी क्रिया में विघ्न पड़ता हो।

(दो) विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जो इस रूप मे प्रदीप्त हों जिससे कि किसी शासकीय यातायात विज्ञापन पट्ट युक्ति या संकेतक का प्रभाव बाधित होता हो या क्षीण होता हो।

**छत के ऊपर के विज्ञापन पटों के सम्बन्ध में निर्बन्धन**

14– (1) किसी भवन की छत पर परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टों के मामले मे केवल प्लास्टिक की विनायल या वस्त्र पत्रक ही अनुमन्य हैं।

(2) नियम–6 और नियम–13 के अधीन रहते हुए किसी भवन की छत पर विज्ञापन पट्ट की ऊँचाई अधिकतम 6.2 मीटर व चौड़ाई 12.4 मीटर से अधिक नहीं होगी और चौड़ाई किसी भी दशा में भवन की क्षैतिज चौड़ाई से अधिक नही होगी।

**विज्ञापन पटों के प्रकार**

15– विज्ञापन निम्नलिखित प्रकार के होंगेः–

(क) वैद्युत और प्रदीप्त विज्ञापन/वैद्युत, डिजिटल विज्ञापन

(ख) भू–विज्ञापन (होर्डिंग)

(ग) छत विज्ञापन (होर्डिंग)

(घ) बरामदा / दुकान विज्ञापन

(ड़) दीवार विज्ञापन

(च) प्रक्षिप्त विज्ञापन

(छ) शामियाना विज्ञापन

(ज) आकाशीय विज्ञापन

(झ) अस्थायी एवं विविध विज्ञापन

(ञ) ट्रैफिक / पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड विज्ञापन

(ट) जन सुविधा स्थान पर विज्ञापन

(ठ) विशेष प्रकार की छतरी विज्ञापन

(ड) पताका / झण्डी विज्ञापन, द्वार विज्ञापन, गुब्बारा विज्ञापन

(ढ) ट्री गार्ड / फ्लावर पॉट डिस्प्ले

(ण) गैन्ट्री विज्ञापन

(त) बिल्ड़िंग ग्लास, फसाड, वॉलरैप, वाटर टैंक विज्ञापन

(थ) फुट ओवर ब्रिज

**(क) वैद्युत विज्ञापन और प्रदीप्त विज्ञापन**

**क–1 वैद्युत विज्ञापन की सामग्री**ः जहॉ प्रतीक पूर्णतः पुंज प्रकाश युक्त विज्ञापन हो, उसे छोड़कर प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।

क–2 वैद्युत विज्ञापनों और प्रदीप्त विज्ञापनों का स्थापनः

प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन औ प्रदीप्त विज्ञापन को राष्ट्रीय भवन संहिता 2005, भाग–8 भवन सेंवायें धारा–2,विद्युत एवं समवर्गीय स्थापन के अनुसार स्थापित किया जायेगा।

**क–3** लाल, तृणमणि जैसा या हरे रंग में कोई प्रदीप्त विज्ञापन, किसी प्रदीप्त यातायात विज्ञापन के 10 मीटर की क्षैतिज दूरी के भीतर परिनिर्मित या अनुरक्षित नहीं किया जाएगा।

**क–4** दो मंजिल से कम की ऊँचाई पर या पगडण्डी से 6.2 मीटर ऊपर जो भी अधिक हो, पर सफेद प्रकाश से भिन्न प्रकाश द्वारा प्रदीप्त समस्त विज्ञापनपट्ट समुचित रूप से प्रदर्शित किये जाएगें जिससे कि यातायात के नियन्त्रण में विज्ञापन पट्ट या संकेतक से होने वाले किसी प्रकार के व्यवधान को संतोषजनक रूप से रोका जा सके।

**क–5 गहन प्रदीप्ति**ः कोई व्यक्ति ऐसा कोई विज्ञापन परिनिर्मित नही करेगा जो ऐसे गहन प्रदीप्ति का हो जिससे कि संलग्न या निकट की भवनों के निवासियों को व्यवधान उत्पन्न हो। ऐसे परिनिर्माण के लिए दी किसी अनुज्ञा के होते हुये भी किसी ऐसे विज्ञापन, जो परिनिर्माण के पश्चात् नगर आयुक्त की राय में ऐसी गहन प्रदीप्ति का हो, जिससे कि संलग्न या निकट के भवनों के निवासियों को व्यवधान उत्पन्न हो, को नगर आयुक्त के आदेश के आधार पर संम्बन्धित स्थल के स्वामी द्वारा ऐसी युक्तियुक्त अवधि, जैसा कि नगर आयुक्त भी विनिर्दिष्ट करें, के भीतर समुचित रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा या उसे हटा दिया जाएगा।

**क–6 परिचालन अवधिः**—नगर आयुक्त की राय में जन सुख सुविधा, स्वास्थ्य और सुरक्षा

के हित में आवश्यक विज्ञापन से भिन्न कोई वैद्युत विज्ञापन, मध्य रात्रि और सूर्योदय के मध्य प्रचलित नहीं किया जाएगा।

क–7 **चौधने वाला, ओझल करने वाला और जीवंतता प्रदान करने वाला:–** कोई चौधने वाला, ओझल करने वाला या जीवंतता परक विज्ञापन पट्टिका जिसकी बारम्बारता प्रति मिनट 30 चौंध से अधिक हो, इस प्रकार परिनिर्मित की जाएगी कि ऐसे विज्ञापन पट्टों का न्यूनतम छोर भूतल से 9 मीटर ऊपर से कम न हो।

क–8 विमानपत्तनों के निकट प्रदीप्त विज्ञापनों के लिए विमापत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

**(ख) भू–विज्ञापन**

ख–1 **सामग्री:**ढांचों, अवलम्बों और पट्टी सहित 6 मीटर से अधिक ऊँचाई वाला प्रत्येक भू–विज्ञापन नियम 16 के उप नियम(4) मे दी गयी सामग्री को छोड़कर अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।

ख–2 **आयामः** कोई भू–विज्ञापन भूमि के ऊपर 6 मीटर से अधिक की ऊँचाई में परिनिर्मित नही किया जाएगा। प्रकाश परावर्तन विज्ञापन के अग्रभाग या मुख भाग के ऊपर जा सकता है।

ख–3 **अवलम्ब और स्थिरक स्थान:**प्रत्येक भू–विज्ञापन को भूमि पर दृढतापूर्वक अवलम्बित और स्थिर किया जाएगा। अवलम्ब और स्थिरक, सुसाध्यतानुसार संसाधित काष्ठ के होंगे या संक्षारण रोध या चिनाई या कंक्रीट हेतु संसाधित धातु के होंगे।

ख–4 **स्थल सफाई :** किसी स्थल जिस पर कोई भू–विज्ञापन परिनिर्मित हो, का स्वामी नगर आयुक्त के अनुमोदन हेतु स्थल के ऐसे भाग जो मार्ग से दृश्य हो, को स्वच्छ, साफ, निर्मल और समस्त और गंदे पदार्थों तथा कुरूप स्थितियो से मुक्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

ख–5 **याताया में अवरोध :** ऐसा कोई भू–विज्ञापन परिनिर्मित नहीं किया जाएगा जिससे किसी भवन के मुक्त प्रवेश में या उसके निकास में व्यवधान उत्पन्न हो।

ख–6 **तल निर्बाधन :** सभी भू–विज्ञापनों का तल आधार भूमि में कम से कम दो मीटर ऊपर होगा किन्तु अंतरावर्ती स्थान को जालदार कार्य या पटल सजावटी व्यवस्था से पूरा किया जा सकता है।

ख–7 भू–चित्रित विज्ञापन, जहॉ लागू हो, नियम 16 की अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे।

**(ग) छत विज्ञापन**

ग–1 **सामग्री :** नियम 16 के उपनियम (4) में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर ढॉचे अवलम्बों और पट्टियों सहित प्रत्येक छत विज्ञापन पट्टिका को अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा। समस्त धात्विक पुर्जो के वैद्युत भू–आच्छादन की व्यवस्था की जाएगी और जहॉ ज्वलनशील सामग्रियॉ अक्षरों या अन्य साज–सज्जों में अनुज्ञात हो वहॉ समस्त लेख और नलिकाएं उसमे मुक्त और रोधित जाएगी।

ग–2 **अवस्थितिः**

**(क)** किसी भवन के छत पर कोई छत विज्ञापन, इस प्रकार नही रखा जाएगा जिससे कि छत के एक भाग से दूसरे भाग में मुक्त प्रवेश में व्यवधान उत्पन्न हो ।

**(ख)** कोई छत विज्ञापन किसी भवन के छत पर या उसके ऊपर तब तक नही रखा जाएगा तब तक सम्पूर्ण छत का निर्माण अज्वलनशील सामग्री का न हो।

ग–3 **क्षेपण (प्रोजेक्शन) :** कोई क्षेपण विज्ञापन भवन की विद्यमान भवन लाइन जिस पर परिनिर्मित हो के परे/प्रक्षेपित नहीं होगा अथवा वह छत के ऊपर किसी भी दिशा में नही बढ़ेगा।

ग–4 **अवलम्ब और स्थिरक :** प्रत्येक छत विज्ञापन को पूर्णतया सुरक्षित रखा जाएगा और उसे ऐसे भवन, जिस पर या जिसके ऊपर यह परिनिर्मित हो, पर स्थिर

किया जाएगा। सम्पूर्ण भार भवन के संरचनात्मक भागों में सुरक्षित रूप में संवितरित होंगे।

ग–5 विमानपत्तनों के समीप छत विज्ञापनों हेतु विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

ग–6 चित्रित छत विज्ञापन, जहाँ प्रयोज्य हों, नियम 16 'समस्त विज्ञापनों हेतु सामान्य अपेक्षाएं' के अनुरूप होंगे।

ग–7 विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

**(घ) बरामदा विज्ञापन**

घ–1 **सामग्री** :प्रत्येक बरामदा विज्ञापन नियम 16 के उप नियम (4) में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर पूर्णतः अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।

घ–2 **आयाम** : कोई बरामदा विज्ञापन 01 मीटर से अधिक ऊँचा नहीं होना चाहिए। किसी बरामदा से लटकाया जाने वाले कोई बरामदा विज्ञापन लम्बाई में 2.5 मीटर और मोटाई में 50 मिलीमीटर से अधिक नहीं होगा, सिवाय इसकें कि विज्ञापन के प्रमुख अग्रभागों के मध्य मापित और पूर्णतया धातुगत तार युक्त शीशें से निर्मित मोटाई में 200 मीटर से अनाधिक मापवाला बरामदा बाक्स विज्ञापन, परिनिर्मित किया जा सकता हैं।

घ–3 **संरेखण** : प्रत्येक बरामदा विज्ञापन, भवन, लाइन के समान्तर स्थापित किया जायेगा, सिवाय इसके कि किसी बरामदा से लटकने वालें ऐसे किसी विज्ञापन को भवन लाइन के समकोण पर स्थापित किया जायेगा।

घ–4 **स्थान** : बरामदा पट्टिका को जो लटकानें वालें विज्ञापन पट्ट से भिन्न हों, निम्नलिखित स्थानों पर लगाया जाएगा–

**(एक)** बरामदा छत की ओरी की ठीक ऊपर ऐसी विधि से कि वह छत के गटर से पिछलें भाग से वहिर्निष्ट न हो।

**(दो)** बरामदा मुंडेर या आलंब के सामनें किन्तु उसके ऊपर या नीचे नहीं, परन्तु ऐसी मुंडेर या आलंब ठोस हो और विज्ञापन पट्टिका ऐसी मुंडेर आलंब के बाहरी अग्रभाग से 20 से.मी. से अधिक वहिर्निष्ट न हो।

**(तीन)** पेन्ट किए हुए विज्ञापन पट्टिकाओं की दशा में बरामदा घरनों या मुडेरों पर।

घ–5 **लटकते हुए बरामदा विज्ञापन पट्टिकाओं की ऊँचाई**–किसी बरामदे से लटकाया हुआ प्रत्येक बरामदा विज्ञापन पट्टिका इस प्रकार से लगायी जाएगी कि ऐसी पट्टिका का सबसें निचला भाग खडंजा से कम से कम2.5मीटर ऊॅचाई पर हो।

घ–6 **प्रक्षेपण** : घ–4 में यथा उपबन्धित के सिवाय कोई भी बरामदा विज्ञापन पट्टिका उस लाइन से, जिससें वह लगी हो, बाहर निकली हुई नही होगी।

**(ड़) दीवार विज्ञापन**

**नगर निगम सीमा क्षेत्र मे किसी भी प्रकार की भवन के परिसर/वाह्य दीवारों पर सड़क की तरफ किसी भी प्रकार का दीवार विज्ञापन पूर्णतयः प्रतिबन्धित होगा ।**

**(क)** प्रतिबन्धित क्षेत्रों/सार्वजनिक कार्यालयों, न्यायालयों, धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थाओं, राष्ट्रीय स्मारकों आदि की दीवारों पर विज्ञापन प्रतिषिद्ध रहेगा।

**(ख)** नगर/स्थल के कलात्मक सौंदर्य, व अन्य विशिष्टियों के मामले में दीवार विज्ञापन के सम्बन्ध में नगर आयुक्त अथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्तद्वारा निर्णय लिया जायेगा।

**(च) प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिकाएं**

च–1 **सामग्री** : प्रत्येक प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका और उसका अवलम्ब एवं चौखट पूर्णतः अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होगा।

च–2 **प्रक्षेपण एवं ऊँचाई** : कोई भी प्रक्षेपण पट्टिका और अपने अवलम्ब या चौखट के

किसी भाग में भवन के बाहर 02 मीटर से अधिक प्रक्षिप्त नहीं होगी किन्तु यह मार्ग के सामने भूखण्ड लाइन के बाहर प्रक्षिप्त नहीं होगी, जब यहमार्ग मे प्रक्षिप्त होती हो तो यह सड़क के 2.5 मीटर की स्पष्ट ऊँचाई पर होगी।

**(क)** समस्त प्रक्षेपण पट्टिकाओं के अक्ष भवन के मुख्य अग्रभाग के दाहिने कोण पर होंगे। जहाँ अग्रभाग के लिए वी–निर्माण किया हो, वहाँ भवन के सामनें विज्ञापन पट्टिका का अधार कुल प्रक्षेपण की सीमा से अधिक नहीं होगा।

**(ख)** कोई भी प्रक्षेपण पट्टिका छत की ओरी के ऊपर या भवन आकृति के उस भाग जिससे लगी हो के ऊपर नहीं निकली होगी।

**(ग)** किसीप्रक्षेपण पट्टिका की अधिकतम ऊँचाई 6 मीटर होगी।

च–3 **अवलम्ब एवं संलग्नक :** प्रत्येक पट्टिका किसी भवन से सुरक्षित रूप से लगी होगी जिससें किसी भी दिशा में उसके संचलन को संरक्षण रोधी धातु दीवारगीर, रॉड्स ऐंकर्स, अवलम्ब, चेन्स या वायररोप्स, जो इस प्रयोजन के लिए निर्मित हों, द्वारा रोका जा सके और इस प्रकार व्यवस्थित की जा सके कि इस प्रकार लगाये जाने की आधी युक्तियाँ परिस्थितिवश विज्ञापन पट्टिका को थाम सकें। स्टैपल्स या कीलों का प्रयोग किसी भवन के किसी प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका को कसने के लिए नहीं किया जायेगा।

च–4 **अतिरिक्त भार :** ऐसी प्रक्षेपण संबंधी संरचनाएं जो किसी सीढ़ी पर या अन्य सेवाई युक्ति में, चाहे वह सेवाई युक्ति के लिए विशेष रूप से बनायी गयी हों या न हो, किसी व्यक्ति को थामने के लिए प्रयोग में लायी जा सकती हों या न हो, पूर्वानुमानित अतिरिक्त भार को थामने के लिए सक्षम होगी किन्तु किसी भी दशा में कल्पित रूप से भार डालने के बिन्दु पर यह अत्यधिक उत्केन्द्रीय भार डालने के बिन्दु पर डाला गया केन्द्रित क्षैतिज 500 किलोग्राम से और ऊर्ध्वधर केन्द्रित भार 1500किलोग्राम के कम के लिए सक्षम नहीं होगी। भवन संघटक, जिससे प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका लगाई जाये इस प्रकार निर्मित होगा कि अतिरिक्त भार को थाम सके।

**(छ:) शामियाना विज्ञापन पट्टिका**

छ–1 **सामग्री** : शामियाना विज्ञापन पट्टिकाएँ पूर्ण रूप से धातु अन्य अनुमोदित अज्वलनशील पदार्थो से निर्मित होगी।

छ–2 **ऊँचाई :** ऐसी विज्ञापन पट्टिकाएँ2मीटर से ऊँची नहीं होगी और न तो वे शामियाना की पट्टी से नीचें और न पगडंडी से ऊपर 2.5 मीटर से नीचे होंगी।

छ–3 **लम्बाई :** शामियाना विज्ञापन पट्टिकाएँ पूरी लम्बाईसे अधिक हो सकती हैं किन्तु वे किसी भी दशा में शामियाना के छोर से बाहर प्रक्षिप्त नहीं होंगी।

**(ज)आकाश विज्ञापन पट्टिका**

ज **आकाश विज्ञापन पट्टिका :** आकाश विज्ञापन पट्टिकाएँ के मामले में ऐसी आकाश विज्ञापन पट्टिका कीऊँचाई 30 मीटर से अधिक नहीं होंगी।न्यूनतम ऊँचाई ऐसी होनी चाहिए कि उससे वाहन या पैदल संबंधी आवागमन में अवरोध या वाधा उत्पन्न न हो।

**(झ)अस्थायी विज्ञापन पट्टिका**

झ **अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएँ :**सचल सर्कस विज्ञापन पट्टिकाएं मेला विज्ञापन पट्टिकाएं एवं सार्वजनिक समारोहोंके दौरान सजावट।

झ–1 **प्रकार :** झ–2 के अनुसार यथा परिनिर्मित अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाओं से भिन्न निम्नलिखित विज्ञापन पट्टिकाओं में से कोई विज्ञापन पट्टिका परिनिर्मित नही की जायेगीः–

**(क)** कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो बरामदा के स्तम्भों पर या उनकें बीच पेन्ट की या लगायी गयी हो।

**(ख)** कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो किसी बरामदा या बालकनी की किसी पट्टी बेयरर, बीम या आलम्ब के ऊपर या नीचे प्रक्षिप्त हो।

**(ग)** कोई विज्ञापन पट्टिका जो प्रदीप्त या प्रकाशमान हो और जो किसी बरामदा या बालकनी के किसी ढाल या गोल किनारे के पट्टी बेयरर, बीम

या आलम्ब पर लगायी गयी हो।

**(घ)** किसी सड़क के आर–पार परिनिर्मित कोई पताका विज्ञापन पट्टिका।

**(ङ)** विज्ञापन पट्टिका को एक दिशा से दूसरी दिशा में लटकने से रोकने के लिए कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो सुरक्षित रूप से न लगी हो।

**(च)** कपड़ेपेपर मैच या समान या सदृश सामग्री से निर्मित कोइ विज्ञापन पट्टिका किन्तु उनके अन्तर्गत होर्डिंग या घरों के लाइसेन्स प्राप्त पेपर विज्ञापन पट्टिकाएं नहीं है।

**(छ)** अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए गए या प्रयोग किए जाने के लिए आशायित किसी भूखण्ड पर कोई विज्ञापन पट्टिकाएं जो किसी ब्रास प्लेट या बोर्ड से भिन्न हो और आकार में अधिमानतः 600 मिलीमीटर गुणें 450 मिलीमीटर से अधिक न हो वह किसी आवास की दीवार या प्रवेश द्वार या दरवाजे या गेट पर लगी हो और फ्लैट के किसी ब्लाक के मामले में प्रवेश हाल के दीवार या किसी फ्लैट के किसी प्रवेश द्वार पर लगी हो, किन्तु बैनर के माध्यम से किया जाना वाला प्रचार–प्रसार पूर्णतयः प्रबन्धित होगा।

**(ज)** पेड़ों, चट्टानों या पहाडियों या तत्समान प्राकृतिक स्थलों पर कोई विज्ञापन पट्टिका।

**झ–2 अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाओं की आवश्यकता :**

**(एक)** सार्वजनिक समारोहों के दौरान सभी अस्थायी विज्ञापन, सचल सर्कस और मेला चिन्ह और पट्टिकाएं सजावट नगर आयुक्त अथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार होंगें और इस प्रकार परिनिर्मित होंगे कि उससे किसी रास्ते मे अवरोध न पहुँचे और आग के जोखिम को कम करने में बाधा न पहॅुचे।

**(दो)** ऐसी किसी विज्ञापन पट्टिका पर अंकित विज्ञापन केवल कारोबार, उद्योग या किसी ऐसे अन्य व्यवसाय से संबंधित होगा जो उस परिसर में या उसके भीतर किया जा रहा हो जिस पर विज्ञापन पट्टिका को परिनिर्मित या लगायी गयी हो। क्षतिगस्त हो जाय यथाशीघ्र और किसी भी दषा में परिनिर्माण के पश्चात जब तक विस्तारित न किया जाए, 14 दिन के भीतर हटा जायेगा।

**(तीन)** नगर आयुक्त किसी अस्थायी विज्ञापन पट्टिका या सजावट को तत्काल हटाने के आदेश यदि उसकी राय में सार्वजनिक सुविधा व सुरक्षा के हित आवश्यक हों, देने के लिए सशक्त होगा।

**(चार)** **पोल विज्ञापन पट्टिका :** पोल विज्ञापन पट्टिकाएं पूर्णतया अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होंगी और यथास्थिति, भूमि या छत की आवश्यकताओं के अनुरूप होंगी। ऐसी विज्ञापन पट्टिकाएं स्ट्रीट लाइन के बाहर तक बाहर तक बढ़ाई जा सकती है, यदि वे प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिकाओं के उपबन्धों के अनुकूल हों।

**(पाँच)** **झण्डी या कपड़े की विज्ञापन पट्टिकाएं :** किसी भवन से संलग्न या उससे लटकनें वाली अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाएं और झण्डियां जो कपड़े या ज्वलनशील पदार्थ से निर्मित हों, सुदृढ़ रूप से बनी होंगी और अपने अवलंब से सुरक्षित रूप से लगी होंगी। जैसे ही वे फट जाये या क्षतिग्रस्त हो जायें, उन्हें यथाशीघ्र और परिनिर्माण के अधिकतम 14 दिन पूर्व ही हटा लिया जायेगा सिवाय उस दशा के जब वे किसी समायबाल या शामियाना से लटकाये जानें के लिए अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाओं को, 10 दिन की अवधि तक लटकाये जाने के लिए अनुमति प्राप्त हों।

**(छः)** **अधिकतम आकार :** अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएं क्षेत्रफल में10वर्ग मीटर से अधिक नही होगी।

(सात) **प्रक्षेपण :** कपड़े की अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएं और तत्समान ज्वलनशील निर्माण किसी मार्ग या सार्वजनिक स्थान के ऊपर या उसके अन्दर 300 मिलीमीटर से अधिक नहीं बढ़ेंगी सिवाय उस दशा के जब एसीचिंन्ह पट्टिकाएं बिना फ्रेम के निर्मित होने पर किसी सायबान या शामियाना के सामने अवलम्ब के रूप में लगाई जा सकती है या उसकी निचली पट्टी से लटकाई जा सकती है किन्तु वे फुटपाथ के 2.5 मीटर से अधिक निकट तक नहीं बढ़ी होनी चाहिए।

(आठ) **विशेष अनुमति :** भवन से लटकती हुई या पोल पर लटकती हुई सभी ऐसी अस्थाई झण्डियाँ जो मार्ग या सार्वजनिक स्थलों के आर–पार बढ़ जायें, नगर आयुक्त अथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त के अनुमोदन के अधीन होंगी।

(नौ) नगर निगमद्वारा स्थापित किये गये बिल फलक को अस्थायी इश्तहारों, विज्ञापनों, पट्टिकाओं, प्रतीकों, मनोरजंन आदि के लिए प्रयोग मे लाया जाएगा जिससे कि नगर की दीवारें विरूपित न हो।

**टिप्पणी :** मनोरंजन और अन्य कार्यक्रमों से संबंधित इश्तहार को इश्तहार फलक से भिन्न भवन की दीवारों पर नही लगाया जाएगा। ऐसे इश्तहार और पेस्टरों के लिए उत्तरदायी संगठन ऐसे विरूपण और विज्ञापन पट्टिकाओं को न हटाने के लिए उत्तरदायी माने जायेंगे।

**सभी विज्ञापन–पटों/पट्टिकाओं के लिए सामान्य अपेक्षाएँ**

16– (1) **भार :**विज्ञापन पट्टिकाएँ इस प्रकार निर्मित होंगी कि वे भाग–6 संरचानात्मक अभिकल्प खण्ड –1, राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 के भार बल और प्रभाव में दिये गये आँधी डेड से सिस्मिक और अन्य लोड को सुरक्षित रूप से सहन कर सके।

(2) **प्रदीप्ति :** कोई भी विज्ञापन पट्टिका जो विद्युत साधनों युक्तियों या वायरिंग से भिन्न हो, राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 के भाग –8 भवन सेवाएं खण्ड –2 विद्युत और सम्बद्ध संस्थापन की अपेक्षाओं के अनुसार संस्थपित या प्रकाशित नही की जायेगी। किसी भी दशा में कोई खुली चिंगारी या दीप्ति प्रदर्शन के उद्देश्यों के लिए तब तक नही इस्तेमाल की जायेगी, जब तकवह नगर आयुक्त द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित न हो ।

(3) **विज्ञापन पट्टिकाओं की डिजाइन और स्थानः**

(क) किसी भी विज्ञापन पट्टिका से पदयात्रियों के आवागमन, अग्नि से बचाव, निकास, या अग्नि शमन प्रायोजनों के साधन के रूप में प्रयुक्त दरवाजे या खिड़की या द्वार में रूकावट नहीं आयेगी।

(ख) किसी भी पट्टिका से प्रकाश व संवातन के द्वार में किसी प्रकार या ढंग से रूकावट नही होगी।

(ग) यदि संम्भव हो, विज्ञापन पट्टिकाओं को एक साथ सम्मिलित रूप में एकल की जानी चाहिए। भू–दृश्य में अव्यवस्थित विज्ञापन पट्टिका से बचना चाहिए।

(घ) अनावश्यक खम्भों को कम करने और विज्ञापन पट्टिकाओं को प्रकाशित करने को सुगम बनाने के लिए पट्टिकाएॅ लाईटिंग फिक्स्चर से युक्त होनी चाहिए।

(ङ.) सूचना विज्ञापन पट्टिकाएॅ स्वाभाविक सभा स्थलों पर लगाई जानी चाहिए और उन्हे दर्शनीय फर्नीचर के अभिकल्प में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

(च) जहॉ विज्ञापन पट्टिकाओं से पैदल आवागमन में बाधा पहुॅचे वहॅा विज्ञापन पट्टिकाओं को लगाये जाने से बचना चाहिये।

(छ) विज्ञापन पट्टिका इस प्रकार लगानी चाहिए जिससे कि सामने से और पीछे से पदयात्रिओं का आवागमन सम्भव हो सके।

(ज) दृष्टिहीन और आंशिक रूप से दृष्टिहीन के लिए पठनीय बनाने के लिए विज्ञापन पट्टिका के किनारे ब्रेल पट्टियॉं लगाई जानी चाहिए या उभरे हुए अक्षरों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(झ) कोई भी विज्ञापन पट्टिका किसी भी वृक्ष या झाड़ी में नही लगायी जायेगी।

(4) **दहनशील पदार्थों का प्रयोगः**

(एक) **सजावटी विशिष्टता** :ढलाई, ढक्कन लगाने, ब्लाक्स, अक्षरों व जाली के लिए जहॉं अनुमति हो और पूर्णतः सजावटी विशिष्टता वाले विज्ञापन पट्टिकाओं के लिए प्रयोग किये जा सकने वाले लकड़ी के सदृश दहनशील विशेषता वाले लकडी या प्लास्टिक या अन्य पदार्थ।

(दो) **विज्ञापन पट्टिका का फलक :–** विज्ञापन पट्टिका का अग्रभाग अनुमोदित दहनशील पदार्थ से बना होना चाहिए, परन्तु प्रत्येक अग्रभाग का क्षेत्रफल 10 वर्गमीटर से अधिक नही होना चाहिए और विद्युत लाईटिंग की वायरिंग धातु की नाली में बन्द होनी चाहिए और फलक से 5 सेन्टीमीटर से अन्यून के विकास के साथ संस्थापित होनी चाहिए।

(5) **विज्ञापन पट्टिकाओं को हटाये जाने से नुकसान या विरूपण :–** जब भी कोई विज्ञापन पट्टिका हटाई जायें यह कार्य नगर आयुक्त की नोटिस या उसके आदेश के कारण हो या अन्यथा हो, ऐसे भवन या स्थल जिस पर या जिससे ऐसी विज्ञापन पट्टिका, प्रदर्शित की गयी थी, में किसी नुकसान या विरूपण की क्षतिपूर्ति विज्ञापनकर्ता से की जायेगी। यदि विज्ञापन पट्टिका के हटाये जाने के दौरान सड़क की सतह/फुटपाथ/यातायात सिग्नल या किसी अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवा की क्षति पहुॅंचाती है तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि को निगम द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर देना चाहिए अथवा तत्काल मरम्मत करा देना चाहिए।

(6) **अनुज्ञा पत्र के ब्योरे का प्रदर्शन :–** अनुज्ञा–पत्र का ब्यौरा और अनुज्ञा की समाप्ति का दिनांक प्रत्येक विज्ञापन पट्टिका पर इस प्रकार लगाया जाएगा कि इसे नग्न नेत्रों से देखा व पढा जा सकें।

**दुकानों पर विज्ञापन**

17– किसी दुकान पर कोई भी विज्ञापन नगर आयुक्त की पूर्व अनुमति के बगैर और अनुज्ञा शुल्क के पूर्व भुगतान के बिना दफ्ती लटकाकर, स्टीकर चस्पा करके, पेन्टिंग लेखन द्वारा, प्रकाश युक्त या अप्रकाश युक्त साइनेस बोर्ड या किसी अन्य विधि से संप्रदर्शन नही किया जायेगा।

**स्पष्टीकरणः–**

(एक) यदि सामग्री बेचे जाने वाली दुकान का नाम, वस्तुओं या सामनों के नाम के साथ अथवा उसके बिना भी, फलक लटकाकर, पेन्टिंग द्वारा या किसी भी अन्य विधि से संप्रदर्शित या प्रदर्शित किया जाये तो प्रत्येक दुकान के लिए केवल एक ऐसे विज्ञापन पट्ट को विज्ञापन नही माना जायेगा और वह इस उपविधि के अधीन विज्ञापन अनुज्ञा शुल्कदेय नही होगा।

(दो) यदि किसी वस्तु का उल्लेख हो और उसमें दुकान के नाम के साथ वस्तु के गुण आदि का विवरण हो और सामान्य जनता का ध्यान विज्ञापन के रूप में स्वतंत्र रूप से आकर्षित कर रहा हो तो वह इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा योग्य होगा।

**मार्गधिकार (राष्ट्रीय राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर) के भीतर अनुज्ञा प्राप्त विज्ञापन**

18–सम्बन्धित मार्ग की क्षमता, क्षेत्र के सम्पूर्ण सौदर्यबोध और सार्वजनिक सुरक्षा पर निर्भर करते हुए निम्नलिखित विज्ञापनों को मार्गाधिकार के भीतर राष्ट्रीय राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर अनुज्ञा प्रदान की जायेगी–

(1) **मार्ग प्रकाश के खम्भों पर विज्ञापन–**

(एक) **अभिकल्प :** विज्ञापन फलक का आकर चौडाई **0.79** मीटर **×1.2** मीटर से अधिक नही रखी जायेगी और विज्ञापन के निचले तल की भूतल से ऊँचाई 2.5 मीटर से कम नही रखी जायेगी। किसी भी दशा में विज्ञापन फलक वाहन मार्ग में प्रक्षिप्त नही होगा।

(2) **बस सायबानों पर विज्ञापनः–**

**अभिकल्प :** बस सायबनों (बस शेल्टर) के विज्ञापन फलक पर क्षेत्र व मार्ग नम्बर को देखने के लिए **1.5**मीटर फलक की लम्बाई को छोड़ते हुए विज्ञापन की अनुज्ञा प्रदान की जायेगी। बस सायबान पर विज्ञापनपट की लाम्बाई सायबान की कुल लम्बाई से अधिक न होगी तथा अधिकतम ऊँचाई **0.90** मीटर पर रखी जायेगी। प्रत्येक सायबान निगम द्वारा उपलब्ध करायी गय डिजाईन के अनुसार ही निर्मित कराया जायेगा तथा उस पर नगरीय परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किराया सूची, सिटी बसों का रूट नम्बर एवं उसके निर्धारित मार्ग का विवरणअंकित करना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित विज्ञापनकर्ता, जिसे बस सायबान पर विज्ञापन प्रदर्शन की अनुज्ञा प्रदान की गयी हो, उसे बस सायबान का अनुरक्षण स्वयं के व्यय पर समय–समय पर कराना अनिवार्य होगा।

(3) **स्थानों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण जंक्शनों पर विज्ञापनः–** नियम–13 में विहित यातायात सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थानों पर पहुॅंचाने को सुगम बनाने के लिए नगर आयुक्त अथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त द्वारा महत्वपूर्ण मार्ग जक्शनों पर 2 मीटर ×0.35 मीटर की आकार पट्टी से युक्त मानक रूप में फलक लगाये जा सकते है। विज्ञापनकर्ता को नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार फलक की पट्टियों पर संस्तुत रंग व आकार में नामों, दूरी व दिशा आदि पेन्ट करने की अनुज्ञा होगी।

(4) **यातायात रोटरी/सड़कः–** नगर आयुक्त यातायात विभाग (राजपत्रित अधिकारी/यातायात प्रभारी) के परामर्श से आवंटन समिति की संस्तुति पर यातायात रोटरी/सड़क/यातायात बूथ के विकास रख–रखाव की अनुज्ञा दे सकते है। यातायात रोटरी/आईलैण्ड/यातायात/ पुलिस बूथ पर उसकी कुल चौड़ाई तथा विज्ञापन की ऊँचाई से अधिक का विज्ञापन प्रदर्शित नही किया जायेगा तथा विज्ञापन की ऊँचाई अधिकतम 0.90 मीटर रखी जायेगी। इसके लिए विज्ञापनकर्ता को उपविधि में विहित दरों पर विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क तथा आवंटन समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रीमियम जमा करना होगा।

(5) **मैदानों, पगडंडियों के किनारे रक्षक पट्टियोंः–** नगर आयुक्त अभिकरण को मैदानों, पगडंडियों के किनारे रक्षक पट्टियों की व्यवस्था करने एवं उनका रख–रखाव करने के साथ–साथ अभिकरण को नगर आयुक्त द्वारा यथाअनुमोदित पट्टियों पर नाम/उत्पाद को संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते है। अभिकरण रक्षक पट्टी के अभिकरण के लिए नगर आयुक्त अथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त को अनुमोदन प्राप्त करने और नगर आयुक्त अथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त के संतोषप्रद रूप में समय–समय पर रक्षक पट्टी/विभाजक का रख–रखाव करने और मुख्यतः पेन्ट करने के लिए आबद्धकर होगा। इस पर लगने वाले विज्ञापन पट का अधिकतम आकार **0.45** मी0 **×0.75** मी0 होगा तथा सड़क से न्यूनतम ऊँचाई **2.5** मी0 होगी।

(6) **वृक्ष रक्षक (ट्री गार्ड)ः–** नगर आयुक्त अभिकरण को पौधों के चारों तरफ अनुमोदित अभिकल्प के वृक्ष रक्षक की व्यवस्था एवं रख–रखाव करने के साथ–साथ अभिकरण को नगर आयुक्तअथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित वृक्ष रक्षकों पर नाम/उत्पाद को संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा दे सकता है परन्तु 0.90 मीटर से कम चौड़े डिवाईडरों पर ट्री–गार्ड लगाये जाने की अनुमति नहीं होगी।

(7) **पुष्प पात्र स्टैण्ड (फ्लावर पॉट स्टैण्ड)**:– नगर आयुक्त किसी अभिकरण को सड़क विभाजक पर अनुमोदित अभिकल्प के पुष्प पात्र स्टैण्ड की व्यवस्था एवं रख–रखाव करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं। दो पुष्प पात्र स्टैण्डों के मध्य कम से कम **5** मीटर की दूरी होनी चाहिए।

अधिकतम **0.45× 0.75** मीटर माप के विज्ञापन पट्ट अपने दोनों ओर संप्रदर्शित किये जा सकते है, परन्तु सड़क सतह से ऊपर विज्ञापन पट्ट के निचले भाग का उर्ध्व निकास **2.5** मीटर से कम नही होना चाहिए।

परन्तु यह कि विज्ञापन पट्ट की चौड़ाई दोनो ओर के विभाजको की चौड़ाई से **0.25** मीटर कम होगी औ पुष्प मात्र को उसके संरेखण (विभाजक के दिशा के समानान्तर ) में रखा जाएगा।

**छूट** **19**– (1) इस उपविधि की कोई बात निम्नलिखित विज्ञापनों एवं विज्ञापन पट्टों पर लागू नही होगीः–

(एक) यदि किसी कार्यालय, दूकान या अधिष्ठान का केवल नाम किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाता है जो ऐसे कार्यालय, दूकान या अधिष्ठान पर परिनिर्मित या संस्थापित किया गया है।

(दो) यदि किसी आवासीय भवन के स्वामी का केवल नाम व पता ऐसे भवन से लगे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(तीन) किसी सरकारी या अद्धसरकारी कार्यालय का नाम व पता ऐसे परिसरों के भीतर रखे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(चार) यातायात विभाग द्वारा प्रदत्त सभी यातायात विज्ञापन पट्ट, संकेतक, यातायात चेतावनी और संदेश, किसी न्यायालय के आदेश या निर्देशों के अधीन संप्रदर्शित सभी नोटिसें, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को इंगित करने वाले सभी विज्ञापन पट्ट परन्तु उनकी माप **0.6** मी0 **×0.6** मी0 से अधिक न हो।

(पाँच) यदि विज्ञापन पट्ट किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किये जाय किन्तु उसमें भवन का प्रकाश व संवातन प्रभावित न हो।

(छः) यदि यह ऐसी भूमि या भवन जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है के भीतर चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से या ऐसी भूमि या भवन के विक्रय मनोरंजन या बैठक या अक्षराकन या उसके भीतर किसी अन्य कार्य से या किसी ऐसी ट्रैमकार, ओमनीबस या अन्य वाहन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता हो, के स्वामी द्वारा चलाये जा रहे व्यापार या कारबार से संबंधित हो, परन्तु यह **0.90** वर्गमीटर से अधिक न हो।

(सात) इसके अतिरिक्त नियम**19** के उप नियम **(2)** से **(5)** के अधीन आच्छादित विज्ञापन पट्टों के लिए किसी अनुज्ञा की आवश्यकता नही है। फिर भी ऐसी छूट से यह अर्थ नही लगाया जायेगा कि विज्ञापन पट्ट का स्वामी इस उपविधि के अनुपालन में परिनिर्माण या रख–रखाव के उत्तरदायित्व से निर्मुक्त है।

(2) **दीवार विज्ञापन पट्ट**:– नीचे सूचीबद्ध दीवारों के लिए किसी अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

(एक) **भण्डारण विज्ञापन पट्ट**:– किसी प्रदर्शन खिड़की के ऊपर किसी भण्डारण या कारबार अधिष्ठान के दरवाजे के ऊपर परिनिर्मित या अप्रकाशित विज्ञापन पट्ट जो मालिक के नाम और उसमें संचालित कारबार की प्रकृति को घोषित करते हों, विज्ञापन पट्ट **1** मीटर से ऊँचे और कारबार अधिष्ठान की चौड़ाई से अधिक नही होने चाहिए।

(दो) **सरकारी भवन विज्ञापन पट्ट**:– किसी नगर पालिका राज्य या केन्द्रीय सरकार के भवन पर परिनिर्मित ऐसे विज्ञापन पट्ट जो अध्यासन के नाम प्रकृति या सूचना को घोषित करते हों।

(तीन) **नाम पट्टः**— किसी भवन या संरचना पर परिनिर्मित कोई ऐसा विज्ञापन पट्ट जो भवन के अध्यासी के नाम को इंगित करता हो और जो क्षेत्रफल में **0.5** मीटर से अधिक न हों।

(चार) ऐसे विज्ञापन पट्ट जो किसी यात्रा मार्ग, स्टेशन या सार्वजनिक सुविधा के स्थानों की ओर इंगित करते हों।

(3) **अस्थाई विज्ञापन पट्टः**—

(एक) **निर्माण स्थल संकेतः**— निर्माण संकेत, इंजीनियर एवं वास्तुविद के संकेत और अन्य समान संकेत जो निर्माण अभियान के सम्बंध में नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किये जायें।

(दो) **विशेष संप्रदर्शन संकेतः**— अवकाशों, सार्वजनिक प्रदर्शन या नागरिक कल्याण की प्रोन्नति या धमार्थ प्रयोजन के लिए प्रयोग किये जाने वाले विशेष सजावटी संप्रदर्शन, जिस पर कोई वाणिज्यिक विज्ञापन न हो, परन्तु यह कि नगर आयुक्त किसी परिणामिक नुकसान के लिये उत्तरदायी नही है। (नियम—15झ(2) अस्थाई विज्ञापन पट्ट के लिए आवश्यकता देखिए)

**विशेष विज्ञापन** 20— (1) यदि अनुसूची—2, जिसके अन्तर्गत प्रतिषिद्ध क्षेत्र भी है, द्वारा कोई विशेषया सार्वजनिक हित का विज्ञापन आच्छादित नही है तो नगर आयुक्त उसेऐसे अनुबन्ध एवं शर्तों पर और इस उपविधि द्वारा निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के दोगुना, अनुज्ञा शुल्क के भुगतान पर परिनिर्मित करने प्रदर्शित करने, संप्रदर्शितकरने,लगाने, चस्पा करने, लिखने, रेखांकन करने या लटकाने कीअनुज्ञा प्रदान कर सकते है।

(2) प्रत्येक ऐसे अनुज्ञा के दिनांक से एक माह तक के लिए विधिमान्य होगी। ऊपर उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञा को अग्रतर एक माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि अनुज्ञा की आवश्यकता किसी अग्रतर अवधि के लिए हो तो नगर आयुक्त के समक्ष स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

**विशेष नियंत्रण क्षेत्र** 21— (1) जब कभी नगर आयुक्तअथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त की राय में इस उपविधि में निबन्धनों के अनुसार अन्यथा अनुमति विज्ञापन युक्ति से निगम के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी विशिष्ट क्षेत्र को क्षति पहुँचने या उसके विरूपित होने की सम्भावना हो, तो वह ऐसे क्षेत्र को विशेष नियन्त्रण क्षेत्र घोषित कर सकता है। सार्वजनिक उपयोग के पार्कों और भूमि को भी विशेष नियन्त्रण क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।

(2) उपनियम **(1)** के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे क्षेत्र के भीतर किसी विज्ञापन का परिनिर्माण और प्रदर्शन निषिद्ध किया जायेगा या किसी प्रकार से जैसा कि नगर आयुक्त द्वारा आवश्यक समझा जाय सीमित किया जायेगा। नगर आयुक्त निगम की अधिकारिता वाले क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले किसी एक या अधिक समाचार पत्रों में, ऐसे क्षेत्र की घोषणा करने के सम्बंध में अपने आशय को प्रकाशित करेगा। ऐसे क्षेत्र के भीतर सम्पत्ति का कोई स्वामी, जो ऐसी घोषणा से व्यथित अनुभव करें, ऐसे क्षेत्र की घोषणा विरूद्ध ऐसे प्रकाशन से एक माह के भीतर नगर आयुक्त अथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त को अपील कर सकता है, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) किसी बरामदा / दुकान विज्ञापन की शब्दावली, विशेष नियंत्रण के किसी क्षेत्र में नगर आयुक्त द्वारा अनुमति हो, स्वामी या फर्म के नाम, जो उस परिसर के अध्यासी हो, तक सीमित होगी। भवन यासंस्था का नाम चलाये जा रहे साधारण व्यवसाय या व्यापार का नाम यथा "ज्वैलर्स" "कैफे" "डासिंग" या भवन के प्रवेश की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना हो सकती है या सिनेमा या नाटक कार्यक्रम के सम्बन्ध में या इसी प्रकार की कोई सूचना हो सकती है किसी भी बरामदे के विज्ञापन में विशेष नियन्त्रण के

किसी क्षेत्र में व्यापार की किसी विशिष्ट वस्तु का विज्ञापन नही होगा और न ही मूल्य या मूल्य में कमी से सम्बन्धित ऐसा कोई विज्ञापन होगा।

(4) विशेष नियंत्रण के क्षेत्र से 30 मीटर दूरी के भीतर उप नियम (3) के अधीन दी गयी अनुज्ञा केसिवाय समान्यतः कोई अन्य विज्ञापन पट्ट नही प्रदर्शित होगा।

**निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा** 22— निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी क्षेत्र या किन्ही क्षेत्रों को विज्ञापन या विज्ञापनपटों का परिनिर्माण, प्रदर्शन, संप्रदर्शन लगाना, चिपकाना, लेखन, आरेखण या लटकाने के लिए निषिद्ध घोषित करें। इस प्रकार के आदेश के विरूद्ध घोषणा की तिथि से एक माह के भीतर अपील आयुक्त वाराणसी मण्डल के समक्ष की जा सकती है।

**झण्डियों पर रोक** 23— (1) कोई भी व्यक्ति नगर आयुक्त अथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त से पूर्व में प्राप्त लिखित अनुज्ञा के बिना किसी झण्डी का प्रदर्शन, संप्रदर्शन या लटकाने की क्रिया नही करेगा।

(2) कोई भी अनुज्ञा निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निषिद्ध क्षेत्र के रूप में निर्धारित क्षेत्र में इस उपविधि के अधीन प्रदान नही की जायेगी।

(3) इस उपविधिका उल्लंघन कोई भी व्यक्ति ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो नगर आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाये और वह प्रति झण्डी दो सौ रूपये से कम नही होगी।

(4) नगर आयुक्त अथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त इस नियम में निर्दिष्ट झण्डी को हटा सकता है और उसे समप्रहित या विनष्ट कर सकता है।

**अनुरक्षण और निरीक्षण** 24— (1) **अनुरक्षण :** सभी विज्ञापन जिनके लिए अनुज्ञा अपेक्षित है उन्हे अवलम्बों, बंधनी, रस्सा और स्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेंगे जो कि ढ़ाचागत और कलात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से होगी और जब चमकीले या अनुमोदित अज्वलनशील सामग्री से निर्मित नही होंगे तो उन पर मोर्चा लगने से रोकने के लिए रंग—रोगन समय—समय पर किया जायेगा।

(2) **सुव्यवस्था**ः प्रत्येक विज्ञापन के स्वामी का यह कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा किवह विज्ञापन हेतु छेके गये परिसर में सफाई, स्वच्छता, आवश्यक मरम्मत और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें।

(3) **निरीक्षण** : प्रत्येक विज्ञापन, जिसके लिए अनुज्ञप्ति जारी किया गया हो और प्रत्येक विद्यमान विज्ञापन जिसके लिए कोई अनुज्ञप्ति अपेक्षित हो, का निरीक्षण प्रत्येक पंचाग वर्ष में कम से कम एक बार किया जायेगा।

**प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति** 25— नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत का निगम अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोज, पर्यवेक्षण, माप या जॉच करने के प्रयोजन के लिए या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिए जो इस उपविधिद्वारा तद्धीन प्राधिकृत हो या जो किसी प्रयोजन के लिए आवश्यक हो या इस उपविधि के किसी उपबंध के अनुसरण में सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना किसी परिसर में या उस पर प्रवेश कर सकता है, परन्तु—

(एक) सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य के सिवाय, अन्य किसी समय, अध्यासी को नोटिस दिये बिना अथवा भूमि या भवन के स्वामी/अध्यासी के न होने पर भूमि/भवन में प्रवेश नहीं किया जायेगा।

(दो) प्रत्येक स्थिति में ऐसी भूमि या भवन से महिला, यदि कोई हो तो, हट सकने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जायेगा।

(तीन) जहॉ तक ऐसे प्रयोजन की आवश्यकताओं के अनुरूप हो जिसके लिए प्रवेश किया गया है। प्रविष्ट की गयी भूमि या भवन के अध्यासियों के सामाजिक और धार्मिक उपयोगिताओं की ओर सम्यक् ध्यान दिया जायेगा।

**भुगतान की रीति** **26–** (1) अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक अनुज्ञा शुल्क एकल किश्त में अथवा दो समान किस्तों में संदेय होगा। बिना देय धनराशि जमा किये एवं बिना अनुज्ञा प्राप्त किये कोई विज्ञापन पट्ट या विज्ञापन परिनिर्मित/संप्रदर्षित नहीं किया जायेगा। प्रथम किस्त वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने अथवा स्वीकृति के समय जो पूर्वतर हो, तथा दूसरी किस्त 30 सितम्बर के पूर्व देय होगी।

(2) यदि कोई विज्ञापन छः माह से कम अवधि हेतु प्रदर्शित किया जाता है तो विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क अनुसूची–2 में अंकित दरों की 50 प्रतिशत धनराशि के बराबर देय होगा।

(3) किसी विशेष प्रयोजन हेतु यदि किसी विज्ञापन को तीन माह अथवा उससे कम अवधि हेतु प्रदर्शित करत है तो विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क की दरे अनुसूची–2 में अंकित दरों पर मासिक आधार पर एक किस्त में देय होगीं ।

**क्षेत्रों का वर्गीकरण** **27–** विज्ञापनों पर अनुज्ञा शुल्क के प्रयोजनार्थ प्रतिषिद्ध क्षेत्र व अन्य क्षेत्रों के वर्गीकरण का विनिश्चय नगर आयुक्त द्वारा निम्नलिखित वर्गो में किया जायेगा–

**(एक)** निषिद्ध श्रेणी क्षेत्र
**(दो)** 'अ' श्रेणी क्षेत्र
**(तीन)** 'ब' श्रेणी क्षेत्र
**(चार)** 'स' श्रेणी क्षेत्र

(एक) (क) **निजी भूमि भवन एवं सार्वजनिक स्थल विज्ञापन के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के विज्ञापन प्रचार हेतु निषिद्ध क्षेत्र :**
शहर के समस्त मुख्य चौराहे एवं मुख्य चौराहे से चारों ओर 10 मीटर तक
बाबा विश्वनाथ मन्दिर एवं बाबा काल भैंरव मन्दिर के चारों तरफ 500मी0 की दूरी में किसी भी प्रकार का विज्ञापन

(ख) (1) कचहरी अम्बेडकर पार्क से कमिश्नर आवास होते हुये सर्किट हॉउस तक एवं सर्किट हॉउस से गोलघर कचहरी होते हुये अम्बेडकर पार्क तक
(2) नगर आयुक्त वी.वी.आई.पी. मूवमेंट यातायात एवं सुरक्षा की दृष्टि से तथा भविष्य में रोपवेव हेतु पिलर के निर्माण को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी क्षेत्र को प्रचार प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने के लिये अधिकृत होगें।

(दो) **'अ'श्रेणी क्षेत्र :**
तेलियाबाग मरी माई चौराहा से मलदहिया आई0पी0 मॉल सिगरा होते हुए रथयात्रा तक
रथयात्रा से लक्सा होते हुये गोदौलिया तक
रथयात्रा से महमूरगंज होते हुये बनारस स्टेशन तक
बी0एच0यू0 लंका गेट से रविदास गेट तक
मलदहिया चौराहा से लहुराबीर चौराहा तक
लहुराबीर चौराहा से चेतगंज होते हुए गोदौलिया तक
आई0पी0मॉल विजया से रविन्द्रपुरी होते हुए रविदास गेट तक
बी0एच0यू0 लंका गेट से भिखारीपुर चौराहा तक

**ब श्रेर्णी :**
अतुलानन्द स्कूल से पुलिस लाईन चौराहा तक
पुलिस लाईन चौराहा से आशापुर फ्लाईओवर तक
पुलिस लाईन चौराहा से चौकाघाट पुल तक
चौकाघाट से संस्कृत विश्वविद्यालय होते हुए लहुराबीर चौराहा तक
लहुराबीर चौराहा से कबीरचौरा होते हुए मैदागिन तक
मैदागिन चौराहा से विशेश्वरगंज होते हुये गोलगड्डा तिराहे तक
साजन चौराहा से कैण्ट स्टेशन होते हुये लहरतारा तक
भोजुबीर चौराहा से पं0 दीनदयाल अस्पताल तक
पाण्डेयपुर चौराहा से हुकुलगंज होते हुए चौकाघाट मछली मण्डी तकसम्पूर्ण क्षेत्र।

**स श्रेर्णी :** उपरोक्त के अतिरिक्त समस्त क्षेत्र होगें।

**नोट– क** यदि कोई विज्ञापन पट्ट दो श्रेणियों या अधिक श्रेणियों की सड़कों के मध्य प्रदर्शित किया जाता है तो उसकी विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क की दरें उच्च श्रेणी की सड़कों के अनुरूप होगी। किसी भी क्षेत्र का वर्गीकरण के विवाद की स्थिति मे नगर आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

**ख** भविष्य में पुराने क्षेत्रों के वर्गीकरण में परिवर्तन/संशोधन व नये क्षेत्रों के वर्गीकरण का कार्य समिति द्वारा किया जा सकेगा।

**हटाये जाने की लागत** **28–** नियम12 के उप नियम (1) में निर्दिष्ट किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट् को हटाने या साफ किये जाने की लागत निम्नवत होगी :–

**(1)** निजी भवनों के छतों के विज्ञापनकर्ता ऐसी अवधि के लिए अनुज्ञा दी गई थी अनुज्ञा की अवधि समाप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर विज्ञापन हटा देंगे। ऐसा न करने पर नगर निगम द्वारा हटाया जायेगा तथा हटाये जाने के व्यय के रूप में अनुज्ञप्ति शुल्क की 1/2 धनराशि देय होगी अन्य विज्ञापनों के अनुज्ञा की अवधि समाप्त होने के पश्चात उसे नगर निगम द्वारा हटाया जायेगा। जिसके व्यय के रूप में अनुज्ञप्ति शुल्क की 1/2 धनराशि अनुज्ञप्ति प्राप्त करते समय जा की जायेगी।

**(2)** बिना अनुज्ञा के किसी भी प्रकार के विज्ञापन होने के दशा में विज्ञापन की संख्या के अनुसार अनुज्ञा शुल्क एवं अनुज्ञा शुल्क का 1/2 हटाये जाने की लागत भी वसूला जायेगा।

**प्रवर्तन एवं अपराधों के लिए दण्ड और उनका प्रशमन** **29–**

**(1)** नगर की सुन्दरता को विद्रुपित किये जाने वाले विज्ञापन जैसे होर्डिंग्स, बिल बोर्ड, साईनेज, पोस्टर, वालरैप, वालराइटिंग एवं अन्य पर अलग–अलग भवनों की संख्या के अनुसार विद्रूपण मानते हुये जुर्माना लगाया जायेगा।

**(2)** सम्बन्धित जोन के जोनल अधिकारी उनके क्षेत्रान्तर्गत स्वयं निरीक्षण कर एवं क्षेत्रीय कर्मचारियों के माध्यम से निरीक्षण कराकर अनुज्ञा रहित/प्रतिबंधित विज्ञापनों से सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था/प्रतिष्ठान को कारण बताओं नोटिस निर्गत कर समस्त देय धनराशि के साथ जुर्माना आरोपित करेंगे।

**(3)** नोटिस में जोनल अधिकारी के अन्तिम निर्णय के उपरान्त यदि प्रभावित पक्ष चाहे तों वह नगर आयुक्त या नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त के समक्ष सात कार्यदिवसों के भीतर अपील कर सकेगा। नगर आयुक्त अथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।

**(4)** इस उपविधि के उपबन्धो का किसी प्रकार का उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो रु. 1,00,000/– (एक लाख रुपये) तक या इससे अधिक भी हो सकता है और उल्लंघन करते रहने की दशा में, प्रथम उल्लंघन की दोषसिद्धि के पश्चात, प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहा हो, ऐसे जुर्माने से, जो रु. 2,000/–(दो हजार रुपये) प्रतिदिन तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

**(5)** उप नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अपराध के लिए निर्धारित धनराशि के आधे से अन्यून और तीन चौथाई से अनधिक धनराशि वसूल करने पर जोनल अधिकारी या नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

**(6)** जिन विज्ञापनकर्ताओं के विरूद्ध होर्डिंग्स एवं विज्ञापन पटों के अनुज्ञप्ति शुल्क की धनराशि बकाया होगी, उसे उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 503 के प्रविधानों के अन्तर्गम वसूली की प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

**आवश्यकता पड़ने पर उपविधिमें संशोधन** उपविधिमें अन्य बातों के होते हुए भी यदि भविष्य में किसी नियम अथवा उसके किसी अंश में अथवा विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क की दरों में संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती है तो कार्यकारिणी समिति/नगर निगम सदन उक्त उपविधि में संशोधन महगाई दरों को प्रकाश में रखकर करने के लिए अधिकृत होंगी/होगा।

**प्रस्तुतकर्ता**

**नगर आयुक्त**
**नगर निगम,वाराणसी**

| | | |
|---|---|---|
| **मुख्य विकास अधिकारी**<br>**वाराणसी** | **नगर आयुक्त**<br>**नगर निगम, वाराणसी** | **जिलाधिकारी**<br>**वाराणसी** |

प्रपत्र सं.........

मूल्य रू 500/–

# अनुसूची–1
## (नियम 6(1) देखें)
## विज्ञापन चिन्ह स्थापित करने की अनुमति हेतु आवेदन–पत्र

विज्ञापनकर्ता का पासपोर्ट आकार का रंगीन चित्र

**1.** आवेदक /विज्ञापनकर्ता का नाम..........................................................................

**2.** अभिकरण, प्रतिष्ठान, कम्पनी या संस्था का नाम...............................................

**3.** पता (साक्ष्य संलग्न किया जाये) ..................................................................................
........................................................................................................................................

**4.** आवेदित विज्ञापन या विज्ञापन पट का प्रकार....................................................................................................

**5.** विज्ञापन या विज्ञापन पट का आकार(लम्बाई'चौडाई मीटर में)....................................................................

**6.** स्थल, नक्शा सहित स्थल की अवस्थिति...............................................................................................................

**7.** भूमि, भवन या स्थान के स्वामी या आध्यासी का नाम.........................................................................................
..........................................................................................................................................................................

**8.** क्या यह सार्वजनिक स्थल है या व्यक्तिगत भूमि या भवन है ?...................................................................

**9. (एक)** यदि निजी स्थल या भवन है तो स्वामित्व प्रमाण– पत्र के साथ भू/भवन स्वामी की लिखित अनुमति, का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करें।

**(दो)** भू/भवन स्वामी द्वारा इस आशय का वचन पत्र ,कि विज्ञापनकर्ता की चूक की दशा में वह देय विज्ञापन अनुज्ञा शुल्कके भुगतान का दायी होगा, संलग्न करें।

**(तीन)** अनुमोदित/पंजीकृत संरचना अभियन्ता (Structure Engineer) द्वारा दिया गया भवन के भार वहन क्षमता एवं विज्ञापन संरचना सम्बन्धी रिपोर्ट।

**10.** 1– अनुसूची–2 के अनुसार वार्षिक अनुज्ञा शुल्क ..........................................................................
2– किश्त की धनराशि .........................................................................................................

**11.** देय प्रीमियम/नवीनीकरण शुल्क.......................................................................................................

**12.**कोई अन्य विवरण...........................................................................................................................
..........................................................................................................................................

**संलग्नकः**

**दिनांकः** **आवेदक के हस्ताक्षर**

**दूरभाष नं.**
**मोबाइल नं**

# अनुसूची–2
# (नियम 26 देखें)
# विज्ञापन और विज्ञापन पट परअनुज्ञा शुल्क की दरें

1. –निगम द्वारा स्वामित्वाधीन .............................भूमि, दीवार और भवन, सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर विज्ञापन या विज्ञापन पट के निर्माण और प्रदर्शन के लिए अनुज्ञा शुल्क की दरें –

**–'अ'श्रेणी–**

| क.सं. | माप वर्गफिट | निर्धारित अनुज्ञा शुल्क |
|---|---|---|
| 01. | 200 वर्गफिट माप तक | 30,000.00 |
| 02. | 201 से 400 वर्गफिट माप तक | 50,000.00 |
| 03. | 401 से 800 वर्गफिट माप तक | 90,000.00 |
| 04. | 801 वर्गफिट या उससे अधिक माप तक | 1,10,000.00 |

**–''ब'' श्रेणी–**

| क.सं. | माप वर्गफिट | निर्धारित अनुज्ञा शुल्क |
|---|---|---|
| 01. | 200 वर्गफिट माप तक | 20,000.00 |
| 02. | 201 से 400 वर्गफिट माप तक | 41,000.00 |
| 03. | 401 से 800 वर्गफिट माप तक | 80,000.00 |
| 04. | 801 वर्गफिट या उससे अधिक माप तक | 1,00,000.00 |

**–''स'' श्रेणी–**

| क.सं. | माप वर्गफिट | निर्धारित अनुज्ञा शुल्क |
|---|---|---|
| 01. | 200 वर्गफिट माप तक | 6,000.00 |
| 02. | 201 से 400 वर्गफिट माप तक | 12,000.00 |
| 03. | 401 से 800 वर्गफिट माप तक | 30,000.00 |
| 04. | 801 वर्गफिट या उससे अधिक माप तक | 60,000.00 |

2. –इलेक्ट्रानिक/एल.ई.डी अथवा अन्य डिजिटल माध्यम से प्रकाशित/संचालित विज्ञापन पटों हेतु (1) में निर्दिष्ट दरों पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क देय होगी।

   – ट्यूबलाइट, एल.ई.डी लाईट, सोडियम लाईट, बल्ब अन्य माध्यम से प्रकाशित/संचालित विज्ञापन पट हेतु उपरोक्त क्रम सं0 1 से 4 तक निर्दिष्ट दरों पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क देय होगी।

3. **(1)** शक्ति चालित चार पहिया वाहन पर विज्ञापन (सड़क प्रदर्शन को छोड़कर)

   हल्का वाहन : रू0 5000/– (पांच हजार) प्रतिवर्ष प्रति वाहन।

   भारी वाहन : रू0 20,000/– (बीस हजार) प्रतिवर्ष प्रति वाहन।

   **(2)** सड़क प्रदर्शन निम्नलिखित दर पर –

   (एक) तीन पहिया : रू0 100/– (सौ) प्रति दिन।

   (दो) चार पहिया : रू0 1000/– (एक हजार) प्रति दिन।

   (तीन) छः पहिया : रू0 2000/– (दो हजार) प्रति दिन।

4. – विद्युत तथा अन्य खम्भों/ट्री–गार्ड/फ्लॉवर पॉट/बिल बोर्ड/क्यास्क/सनपैक/साईनेज जनसुविधा पर विज्ञापन पट लगाकर विज्ञापन हेतु अनुज्ञा शुल्क की दरें।

| क्र.सं. | माप वर्गफिट | श्रेणी | निर्धारित अनुज्ञा शुल्क |
|---|---|---|---|
| 01. | 4×2.5 वर्गफिट माप तक प्रति बोर्ड | ''अ'' | 10,000.00 |
| 02. | 4×2.5 वर्गफिट माप तक प्रति बोर्ड | ''ब'' | 8,000.00 |
| 03. | 4×2.5 वर्गफिट माप तक प्रति बोर्ड | ''स'' | 6,000.00 |

नोटः–नगर निगम सम्पत्ति/संसाधनों/विद्युत पोलों पर विज्ञापन प्रदर्शित किये जाने के स्थिति में उपरोक्त संशोधित अनुज्ञा शुल्क की दरों पर 60 प्रतिशत के अनुपातिक राशि के अनुरूप वार्षिक किराया/प्रीमियम देय होगा।

5. पोस्टर : पूर्णतयः प्रतिबन्धित।
6. पर्चा (हैण्ड बिल) : रू0 1000/–(एक हजार) प्रति हजार।
7. पताका (बैनर) : पूर्णतयः प्रतिबन्धित।
8. गुब्बारा : रू0 1000/– (एक हजार) प्रतिदिन।
9. छतरी (कैनोपी) : रू0 500/– (पांच सौ) प्रतिदिन।
10. आटो रिक्शा थ्री व्हीलर : रू0 5000/– (पांच हजार) प्रतिवर्ष।
11. बसों पर : रू0 12000/– (बारह हजार) प्रतिवर्ष।
12. दीवारों पर वाल राइटिंग –पूर्णतयः प्रतिबन्धित।
13. रेलवे की जमीन पर लगने वाली होर्डिंग जिसका भाग सड़क के सम्मुख होने की दशा में अनुसूची–2 मं अंकित अनुज्ञा शुल्क की दरें क्रमांक–1 के अनुसार 75 प्रतिशत देय होगा।
14. उत्सव मेला, प्रदर्शनी, सर्कस तथा इस प्रकार जनता को आकर्षित करने वाले प्रदर्शन पर न्यूनतम 3 माह का अनुज्ञा शुल्क की दरें के क्रमांक–1 के अनुसार लिया जायेगा।
15. ध्वनि विस्तारक यंत्र : रू0 200/– प्रति बाक्स/स्पीकर प्रतिदिन।
16. जिन मदों का ऊपर उल्लेख नहीं किया गया है उनका विज्ञापन/अनुज्ञा शुल्क क्रमांक– 1 अनुसार देय होगा।
17. निजी/भूमि भवन पर स्ट्रक्चर लगाने से पूर्व भवन की मजबूती, स्ट्रक्चरलइंजीनियर से भवन की गुणवत्ता सुदृढीकरण का प्रमाण–पत्र भवन स्वामी का अनुबन्ध नामा सम्बन्धित को प्रस्तुत करना होगा।
18. इस अनुसूची से विनिर्दिष्ट अनुज्ञा शुल्क दरें अनुवर्ती वित्तीय वर्ष जिसमें यह उपविधि प्रवृत हुई हो, के दो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 10 प्रतिशत तक बढ़ी हुई समझी जायेगी। तत्पश्चात् इसी प्रकार की वृद्धि प्रत्येक दो वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक के पश्चात प्रभारी होगा।
19. अनुज्ञा शुल्क अग्रिम रूप से संदेय योग्य होगा।

**स्पष्टीकरण–**

1. यदि कोई विज्ञापनकर्ता किसी विज्ञापन को 3 माह से अधिक अवधि के लिये प्रदर्शित करना चाहता है तो नगर आयुक्त निर्देश दे सकते हैं कि अनुज्ञा शुल्क मासिक आधार पर आंगणित होगा। सम्पूर्ण धनराशि एक बार में जमा करायी जाएगी।
2. अनुज्ञा शुल्क के सभी अवशेष अधिनियम के अध्याय इक्कीस के अनुसार वसूली योग्य होंगे।

**प्रस्तुतकर्ता**

**नगर आयुक्त**
**नगर निगम,वाराणसी**

**मुख्य विकास अधिकारी**
**वाराणसी**

**नगर आयुक्त**
**नगर निगम, वाराणसी**

**जिलाधिकारी**
**वाराणसी**